हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

5.4.2016/1100/av/as/1

<u>प्रश्न संख्या : 3191</u>

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ। माननीय सदस्य, श्री रिखी राम कौंडल।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, एक तो आज पहली बार हिमाचल प्रदेश को डिप्टी सी0एम0 मिल सकता है। एक तो हमारे पास यह खबर है। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न कीजिए। (---व्यवधान---)

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम लिया। मेरे पास जो अखबार है इसमें छपा है कि 'हिमाचल को पहली बार मिल सकता है डिप्टी सी0एम0।'

Speaker: You can't wave paper like this. No recording please. यह रोज का काम हो गया है। यह गलत काम है। गलत बात है यह ।

मुख्य मंत्री : 'भास्कर' में जो खबर छपी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

5.4.2016/1100/av/as/2

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न।

अध्यक्ष : बात खत्म हो गई। (---व्यवधान---) रिखी राम कौंडल जी, आप अपना प्रश्न बोलिए। नहीं, नहीं। आपने अपना प्रश्न बोलना है तो बोलिए। No paper will be raised here. I won't allow you. Not at all. No recording please. प्रश्न संख्या बोलिए। नहीं, नहीं। (---व्यवधान---) यह गलत बात है। आप इनको (माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह को कहा।) छोड़िए। I am conducting here, आप बोलिए। Not allowed. Not at all, I will not allow you. Please sit down. यह गलत बात है। This is a wrong procedure, अभी प्रश्न काल है, इनको प्रश्न बोलने दीजिए। Let the Question

Hour be over.(---व्यवधान---) No recording नहीं, मैं नहीं मानूंगा। I won't allow you. यह गलत बात है। (---व्यवधान---) This is wrong. मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। आप (श्री रिखी राम कौंडल को कहा।)प्रश्न कीजिए। यह प्रश्न काल का समय है और आप अपना प्रश्न कीजिए। इनको छोड़िए, आप अपना प्रश्न बोलिए। I am addressing you. Why do you address him? Not to be recorded….(Interruption).. not to be recorded if you harp on the same tune माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए। (---व्यवधान---) आप प्रश्न पूछिए, नहीं तो मैं अगला प्रश्न बोलूंगा।

5.4.2016/1100/av/as/3

<u>प्रश्न संख्या : 3192</u>

महेन्द्र सिंह जी, अगला प्रश्न कीजिए। (---व्यवधान---) आप प्रश्न संख्या बोलिए। (---व्यवधान---) Not to be recorded. I am not asking you to read this. I am asking you to say your question. आप प्रश्न काल पर ध्यान दीजिए। आप प्रश्न कीजिए फिर देखूंगा। Not at all (---व्यवधान---) आप प्रश्न कीजिए। (---व्यवधान---) आपने सिर्फ प्रश्न संख्या बोलना है। (---व्यवधान---) आप प्रश्न कीजिए और मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

टीसी द्वारा जारी

05.04.2016/1105/TCV/AS/1

अध्यक्ष महोदय जारी..

श्री महेन्द्र सिंह जी आप अपना क्वैश्चन बोलिए।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब आप बोलने देंगे, तभी हम बोल पाएंगे, जब आप

बोलने ही नहीं देंगे तो क्या पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं।

अध्यक्षः आपने कुछ नहीं बोलना है, आपने क्वैश्चन नम्बर बोलना है।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं क्वैश्चन पर ही बोल रहा हूं। जो सूचना क्वैश्चन के बारे में सभापटल पर रखी गई है, अब सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है (--व्यवधान---)।

Speaker: Not to be recorded……(**Interruption**)….

मुख्य मंत्रीः मैंने कहा कि भास्कर में जो खबर छपी है वह बिल्कुल गलत है, बनावटी है और प्लांटिड है। (--व्यवधान---)।

05.04.2016/1105/TCV/AS/2

प्रश्न संख्याः 3193

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि अब जो अप्वाईंमैंट्स हो रही है, वह कांट्रैक्ट पर हो रही है और 5 साल के कांट्रैक्ट के बाद कर्मचारी नियमित हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी अगली प्रोमोशन के लिए इस पीरियड को 3 साल और 7 साल किया जाये क्योंकि बहुत सी पोस्टें सीनियर असीस्टेंट की खाली पड़ी हुई है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है, मगर आपने कहा है तो हम इसके ऊपर हम विचार करेंगे।

05.04.2016/1105/TCV/AS/3

प्रश्न संख्याः 3194

अध्यक्षः श्री राजीव सैजल (Not Interested)

प्रश्न संख्याः 3195

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री रविन्द्र सिंह

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न लगा है इसका जवाब मुख्य मंत्री महोदय ने देना है तो जब इनका फैसला शाम को 2.30, 3.00 बजे तक होने वाला है (...व्यवधान--)

अध्यक्षः आप अपना क्वैश्चन किजिए। आप अपना क्वैश्चन बोलिए, वरना मैं अगला क्वैश्चन बोलूंगा।

05.04.2016/1105/TCV/AS/4

प्रश्न संख्याः 3196

अध्यक्षः अगला क्वैश्चन श्री नरेन्द्र ठाकुर (Not Interested)

प्रश्न संख्याः 3197

अध्यक्षः अगला क्वैश्चन श्रीमती सरवीण चौधरी (Not Interested)

प्रश्न संख्याः 3198

अध्यक्षः अगला क्वैश्चन श्री राकेश कालिया (Not Interested)

श्री एन0एस0 द्वारा ---- जारी।

05-04-2016/1110/NS/AG/1

प्रश्न संख्या : 3199

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, बीड़-बरोट सड़क जोकि पंजाब सरकार के समय से बननी शुरू हुई थी लेकिन यह सड़क अभी भी अधूरी है। इसमें एक पुल ऊहल नदी पर 37 किलोमीटर लम्बा बनना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह पुल कब तक बनकर तैयार होगा और यह सड़क पूरी तरह से बनकर कब तक तैयार हो जाएगी? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

(विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे।)

मुख्यमंत्री : इस सड़क को जल्दी-से-जल्दी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

05-04-2016/1110/NS/AG/2

Question No. 3200

Speaker: Next Question (Question No. 3200) Shri Gulab Singh Thakur. (Not interested)

05-04-2016/1110/NS/AG/3

प्रश्न संख्या : 3201

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो R.M.S.A. के तहत स्कूल बिल्डिंग के लिए पैसा मंजूर हुआ था वह धनराशि समाप्त हो गई है और अभी बिल्डिंग इनकंपलीट है। बिल्डिंग के दरवाज़े, खिड़कियां और फर्श आदि बनने बाकी हैं और पैसा समाप्त हो चुका है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिल्डिंग को कंपलीट करने का आश्वासन देंगे?

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह काम बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा।

05-04-2016/1110/NS/AG/4

प्रश्न संख्या : 3202

श्री बलवीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे चुनाव क्षेत्र में हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के तीन थोक बिक्री केन्द्र हैं जो कि चौपाल, नेरवा व कुपवी में स्थित हैं। जो केन्द्र चौपाल में स्थित है उसकी स्थिति बहुत ही डैमेज है और जो नेरवा में है वह तो बिल्कुल ही बंद है। कुपवी केन्द्र की भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। नेरवा में जो गोदाम है उसे तोड़ना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो चौपाल और कुपवी में पुराने गोदाम हैं उसकी रिपेयर के लिए माननीय मंत्री महोदय जल्दी-से-जल्दी पैसे का प्रावधान कब तक करेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिपेयर का सवाल है उसकी रिपेयर के लिए हम पैसे देंगे। दूसरा, हमने 500 मी. टन क्षमता के नये गोदाम का काम हिमकोन को दे दिया है। वहां पर हम एक नया गोदाम बना देंगे।

श्री बलवीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह

जानना चाहता हूं कि जो हिमकोन को 500 मी.टन क्षमता के गोदाम का काम दिया है, वह कितने का दिया है और यह कब तक तैयार हो जाएगा? जो कुपवी में स्टोर है उसकी भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। कुपवी और चौपाल के लिए भी मंत्री महोदय जल्दी-से-जल्दी पैसे दें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चौपाल में 300 मी.टन केपैस्टिी का गोदाम है और उसकी मुरम्मत के लिए हमने मु. 3,80,347 /- रूपये की राशि पी.डब्लयू.डी. विभाग को दे दी है। हिमकोन एक कंसलटैंसी कंपनी है वह पूरा प्रोजैक्ट बनाकर दे रही है। जैसे ही उसका प्रोसीज़र पूरा होता है, हम अपना काम जल्दी-से-जल्दी शुरू करवाएंगे।

05-04-2016/1110/NS/AG/5

श्री बलवीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नेरवा में जो नया गोदाम बनना है और उसका कार्य हिमकोन को सौंपा गया है उसके लिए कितने बज़ट का प्रावधान किया है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः इस प्रोजैक्ट की कॉस्ट हिमकोन बनाकर देगा और जैसे ही हमारे पास प्रोजैक्ट की रिपोर्ट आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

05-04-2016/1110/NS/AG/6

Question No. 3203

Speaker: Next Question (Question No. 3203) Shri Krishan Lal Thakur. (Not interested)

Question No. 3204

Speaker: Next Question (Question No. 3204) Shri Yadvinder Goma. (Absent)

Question No. 3205

Speaker: Next Question (Question No. 3205) Shri Govind Singh Thakur. (Not interested)

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी।

05/04/2016/1115/RKS/AG/1

प्रश्न संख्या: 3206

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि कुछ कनिष्ठ अध्यापक साईंस ग्रजूएट के अतिरिक्त भी पदोन्नत हुए हैं। इन अध्यापकों की कुल संख्या 215 बताई गई है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

श्री राम कुमार: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न संख्या: 3203 छूट गया है।

Speaker: I will take it up later on.

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे आर्टस विषय के कितने कनिष्ठ अध्यापक हैं जिन्होंने टैट की परीक्षा पास नहीं की है, फलस्वरूप वे प्रमोट नहीं हो पाए? उनकी कुल संख्या कितनी है? जो आपने सूचना दी है उसमें यह भी दर्शाया है कि जब तक ये अध्यापक टैट की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक ये पदोन्नत नहीं हो सकते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने इस प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य को बताया है कि गत एक वर्ष में विभाग ने 215 कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जिसका ब्यौरा मैंने पटल पर रखा है। कुल 215 अध्यापकों को प्रमोट किया गया है।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानना चाहा था कि कितने ऐसे कनिष्ठ अध्यापक हैं जिन्होंने टैट पास कर लिया है? अगर इन्होंने टैट पास कर लिया होता तो वे आर्टस के ग्रेजूएट प्रमोट हो सकते थे। इनकी कुल संख्या कितनी है?

Chief Minister: This information is not available with me. I will write to the Hon'ble Member about it.

05/04/2016/1115/RKS/AG/2

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय 'ग' भाग के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि जो टैट की परीक्षा है उसको पारित करना आवश्यक है। यह बात सर्वविदित है कि अनेक स्कूलों में जो कनिष्ठ अध्यापक प्रमोट होने वाले थे उनके लिए पोस्टें उपलब्ध है। कला अध्यापक के पद भी रिक्त पड़े हुए हैं। क्या इन रिक्तियों को देखते हुए अडहॉक पदोन्नति की जा सकती है? जो टैट का मामला है उसको NCT के साथ उठाया जाए। जब ये अध्यापक एक वर्ष के भीतर अपनी टैट की परीक्षा पास कर लेंगे तो उस समय इन्हें नियमित किया जा सकता है, परमानेंट किया जा सकता है। क्या आप तब तक इन अध्यापको की अस्थायी प्रमोशन करेंगे ताकि शिक्षा का काम सुचारू रूप से चलें और ये अध्यापक एक वर्ष के भीतर अपनी टैट की परीक्षा भी पास कर लेंगे?

मुख्य मंत्रीः प्रमोशन तो टैट पास करने के बाद ही होगी।

05/04/2016/1115/RKS/AG/3

Speaker: Now, I will take up the left out Questions.

प्रश्न संख्याः 3203

श्री राम कुमारः अध्यक्ष जी, जो नालागढ़ डिपो की 34 बसों में परिचालक हैं, उन बसों को 34 प्रशिक्षु चला रहे हैं और वे प्रशिक्षु कुछ दिनों में वापिस हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके बाद सरकार द्वारा इन बसों को चलाने के लिए क्या प्रबन्ध किए जाएंगे?

माननीय मंत्री जी श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

05.04.2016/1120/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3203...जारी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस समय परिचालकों की कमी है, उसको देखते हुए, जो स्किल्ड लोग हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन्हीं से काम चला रहे हैं। जब दिक्कत आएगी, उस वक्त देखेंगे।

05.04.2016/1120/SLS-AS-2

प्रश्न संख्या : 3207

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी विस्तृत सूचना सभा पटल पर रखी है। इसकी फोरैस्ट एंड एनवॉयरनमैंट क्लीयरैंस भी हो चुकी है और आपने लैंड ट्रांसफर करने के लिए भी कदम उठाए हैं। मगर जब ADB से फाईनैंसिंग एंड फंडिंग नहीं हो सकी तब आपने जर्मन बैंक KFW से इसकी फंडिंग का बीड़ा उठाया है। मैं जानना चाहती हूं कि जो लास्ट मीटिंग हुई, उसमें क्या फ़ैसला हुआ और इस प्रोजैक्ट को कार्यान्वित करने के लिए विभाग आगे क्या कदम उठा रहा है; यह काम कब तक चालू हो जाएगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने स्वयं कहा है, ADB ने हमें पहले ही काफी कर्ज़ दिया हुआ है और अब वह पूरे देश में फंड देने से आनाकानी कर रहे हैं। अब KFW जर्मन डवलपमैंट बैंक के साथ मैटर टेक अप किया गया है और हम उनसे फंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

05.04.2016/1120/SLS-AS-3

Speaker: Next, a left out Question, Shri Rakesh Kalia

Question No. 3198

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आप इस कॉलेज को अपग्रेड नहीं करना चाहते? इसके लिए आपका कोई प्लॉन क्यों नहीं है, इसका कारण बताएंगे? मैं तो चाहूंगा कि आप हाऊस में अश्योर करें कि जब कभी मौक़ा लगे, आप इस बारे में केंद्र सरकार से मसला उठाएं और इस कॉलेज को भी अपग्रेड करें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक कांगड़ा में, एक मण्डी में और 2 शिमला में हैं। पार्लियामैंटरी कंस्टिच्युंसी के हिसाब से देख लें, तब भी वैसा ही है। एक NIT हमीरपुर में है। IIT ऊना में बन रही है। बिलासपुर में एक हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का मामला आजकल फाईनल स्टेज पर है और उसके लिए MoU तय हो रहा है। यह 3 नए संस्थान खुल रहे हैं। इनके बाद भी यदि कोई गुंजाईश होगी तो उसके ऊपर विचार करेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नए कॉलेज तो बनाना चाह रहे हैं और पुराने पोली-टैक्निकल कॉलेज आपने सारे अपग्रेड कर दिए हैं। लेकिन गगरेट कॉलेज भी बहुत पुराना है जो 25 सालों से चला हुआ है। इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप अच्छी-सी प्रोपोजल बनाएं। आप ब्लंट अनसर दे रहे हैं कि भविष्य में करेंगे।

जारी ...गर्ग जी

05/04/2016/1125/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3198----क्रमागत

श्री राकेश कालिया----क्रमागत

इसलिए आप एक अच्छा प्लान बनाकर दिल्ली भेजें। आपका वहां कार्यक्रम रखेंगे और धाम करेंगे। इसलिए आप वहां कॉलेज अनॉउन्स करके जाइए और यहां पर यह आश्वासन भी दें कि हम वहां करेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो यहां जगह सिर्फ 1.8 एकड़ है और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कम-से-कम 10 एकड़ जगह चाहिए। इसलिए 1.8 एकड़ में तो किसी भी हालत में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन सकता और बहुतकनीकी शिक्षा के कॉलेज को किसी को भी हमने अपग्रेड करके इंजीनियरिंग कॉलेज अभी नहीं बनाया है। लेकिन मैं इनको यह आश्वासन दे रहा हूं कि as and when there is a demand, definitely we will keep request of the Hon'ble Member into consideration.

05/04/2016/1125/RG/AS/2

प्रश्न सं. 3208

अध्यक्ष : श्री इन्द्र सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

05/04/2016/1125/RG/AS/3

प्रश्न सं. 3209

श्री खूब राम : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें इन्होंने कहा

है कि केवल मात्र स्पिति घाटी, जिला लाहौल एवं स्पिति में 1000 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पार्क चिन्हित किया गया है और इसके लिए नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप में स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत मु. 25.25 लाख रुपये की धनराशि Solar Energy Corporation of India, A Government of India Enterprise, New Delhi को परियोजना की DPR बनाने हेतु स्वीकृत की जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, एक आदेश यह हुआ था हर जिले में और जिलाधीशों को ये आदेश दिए गए थे कि जिलों में भी ऐसी भूमि चयनित की जाए और जहां बंजर भूमि है, वहां भी ये सोलर पार्क स्थापित किए जाएं। तो क्या माननीय मंत्री जी ने जिलाधीशों को ये आदेश दे दिए हैं ताकि ये सोलर पार्क्स हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में भी बन सकें?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदेश दे दिए गए हैं।

05/04/2016/1125/RG/AS/4

प्रश्न सं. 3210

अध्यक्ष : श्री हंस राज जी सदन में उपथित नहीं हैं।

प्रश्न सं. 3211

अध्यक्ष : डॉ. राजीव बिन्दल जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न सं. 3212

अध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न सं. 3213

अध्यक्ष : श्री विजय अग्निहोत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

05/04/2016/1125/RG/AS/5

प्रश्न सं. 3214

श्री मोहल लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि जहां तक ठियोग-हाटको-रोहड़ू रोड की बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले इस सड़क का काम बंद पड़ा था, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आई, इन्होंने इसका कार्य शुरू करवाया और जो भी इसकी री-टैण्डर इत्यादि की प्रक्रिया थी, वह शुरू करवाई। वह बात अलग है कि शुरू-शुरू में कार्य में थोड़ी धीमी गति थी, लेकिन आजकल कार्य काफी ठीक गति से चला हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सिर्फ यह आग्रह करना चाहूंगा कि परौंठी से लेकर निहारी तक लगभग 15 किलोमीटर का रोड है, बाकी तो तकरीबन रोड ठीक है, लेकिन बरसात वगेरह में इसमें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि या तो लोक निर्माण विभाग या कम्पनी को ऐसे आदेश दिए जाएं कि इसकी थोड़ी सी मरम्मत की जाए। बाकी कार्य तो चला हुआ है, कहीं कटिंग चली हुई है और दूसरे अन्य कार्य भी चले हुए हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के दो पोरेशन हैं। एक ठियोग से खड़ा पत्थर और दूसरा खड़ा पत्थर से हाटकोटी-रोहड़ू है। सड़क के दोनों हिस्से में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। पहले कुछ स्थिरता थी, लेकिन अब now the work has been speeded up and I am hopeful that I will be completed within the rescheduled time.

05/04/2016/1125/RG/AS/6

प्रश्न सं. 3215

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न सं. 3216

अध्यक्ष : श्री बम्बर ठाकुर जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

एम.एस. द्वारा अगला प्रश्न शुरू

05/04/2016/1130/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3217 .

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो एन0सी0ई0टी0 के नॉर्म्ज के मुताबिक शिक्षण संस्थानों में बी.एड कोर्स के लिए प्रिंसिपल्ज के लिए आठ साल की कण्डीशन रखी गई है और प्रश्न के जवाब में भी आठ साल कहा गया है लेकिन कई कॉलेजिज में वह सूचना नहीं पहुंची है। वे इसके पीरियड को दस साल कह रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि clear cut directions to all the Universities and the colleges चले जाएं कि एन0सी0ई0टी0 अधिनियम, 2014 के एकॉर्डिंगली जो इसके लिए आठ साल का टाइम पीरियड है वह इम्प्लीमैंट किया जाए।

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, the H.P. University has sought clarification from UGC whether University has to follow UGC requirement for teachers of B.Ed or that of NCTE. On this clarification, further action will be taken.

05/04/2016/1130/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 3218

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री बलदेव सिंह तोमर।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्याः 3219

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री गोविन्द राम शर्मा।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्याः 3220

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्याः 3221

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह।
(अनुपस्थित)

05/04/2016/1130/MS/AG/3

प्रश्न संख्याः 3222

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न में सड़कों के बारे में पूछा है, ये सारी सड़कें दूर-दराज़ और पिछड़े क्षेत्र की हैं। मैं चाहूंगा कि इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए ताकि दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, the status of various ten roads/bridges

under Baijnath constituency is as under:

1. Bir to Barot Road: Total proposed length is 48 km. The bus is plying in the 20 km portion of RD 0/0 to 14/0 km and 32/0 to 48/0 km. The road is jeepable between 14/0 to 26/0 km. However, the road between Rajgumia to Baragram (km 26/0 to 32/0) is yet to be constructed. Where forest and private land is involved but gift deeds are not available.
2. Billing to Baragram Road: A bridge of 35 mtrs span is proposed at RD 28/200 over Uhal Khud. But no road could be constructed on either side of bridge site since forest land and private land is involved. Construction can be taken up only after receiving gift deeds and FCA clearance.
3. Barot Lahri Road: Total length is 6.00 km and is open to traffic out of which 5.00 km is pucca road. The necessary repair shall be done in coming summer season.

4. Sarajda to Tatwani Road: Total proposed length is 16.00 km out of which 4.00 km is busable and 6.00 km is jeepable. Balance 6.00 km falls in forest and private land. Gift deeds are awaited.

Contd. By AG in English . . .

05.04.2016/1135/जेएस/एजी/1

Question No. 3222 Continues . . .

Chief Minister Continues . . .

5. Sansal to Thathi Road: Total length is 6.00 km, 2 km is busable. 500

mtrs is jeepable. Balance 3.50 km involves forest and private land. But gift deeds are not available.

6. Chowin Sansai Road: Total length is 12.00 km out of which 10.850 km is completed. Balance work is in progress under PMGSY.
7. Langhu Jamrela Road: Total length is 5.50 km out of which 3.730 km is busable. The balance work shall be completed under NABARD for which DPR of Rs. 2.06 crores has been submitted to Planning Department for approval on 15.10.2015.
8. Paprola to Nangan Road: Total length is 1.50 km out of which 0.50 km is pucca road, 700 mtrs is jeepable and balance is under construction under TASP which is likely to be completed during this year.
9. Uttrala Holi Road: Total length is 77 km. 51 km is completed from both sides. Balance involves forest land for which FCA is under preparation. A tunnel of length 14.50 km is also proposed between Holi and Chamunda at the estimated cost of Rs. 2170 crores (It is not possible. What is the amount? I will correct this figure. I think the figure given here is not correct.) which will reduce this distance between Holi and Chamunda from 247 km to 50 km.
10. Bridge over Binwa Khud on Pipad Duhak Kuni Dhandol Road: The DPR for this 40 mtrs span bridge has been submitted to Government of India on 20th June, 2015 under CRF for Rs. 4 crores. Approval is awaited.

So, this is the position regarding roads in the Baijnath Constituency.

05.04.2016/1135/जेएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 3223

अध्यक्षः श्री गुलाब सिंह ठाकुर, अनुपस्थित।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

05.04.2016/1140/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3224

Speaker: Next Question Sh. Krishan Lal Thakur, absent. अगला प्रश्नकर्त्ता श्री राम कुमार।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी हो गई है? यदि नहीं हुई है तो यह कब तक जारी हो जायेगी?

दूसरा, क्या यह मास्टर प्लान बी0बी0एन0 के अलावा प्रदेश के अन्य जो हिस्से हैं या शहर हैं उनमें भी लागू होगा?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखानों के लिए हाई राइज़ स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन स्टेट गवर्नमैंट ने दी है। इसमें जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं यह मास्टर प्लान का मसला है। बेहतर रहेगा कि ये अगले सैशन में यू0डी0 मिनिस्टर को क्वैश्चन पोज़ करें ताकि इसका जवाब आ सके। इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते मैं यही कह सकता हूं कि हमने ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे दी है।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, यू0डी0 मिनिस्टर साहब सदन में हाज़िर हैं। क्वैश्चन को दोबारा पोज़ करने के बजाय मैं यू0डी0 मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे बता दें कि मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी हो गई या नहीं?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अलग से सवाल यू0डी0 मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा और तरीके के मुताबिक ही क्वैश्चन पोज़ करना पड़ेगा।

05.04.2016/1140/SS-AS/2

प्रश्न संख्याः 3225

श्री यादविन्द्र गोमाः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसमें "ख" भाग के उत्तर में यह दर्शाया गया है कि 31.1.2016 तक कोई भी बस नहीं चल सकी जबकि इन रोडों की पासिंग पांच-छः महीने पहले हो चुकी थी। इसमें अब यह दर्शाया गया है कि परीक्षण के आधार पर इन बसों को चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि जहां बसें आपके द्वारा परीक्षण में चलाई गई हैं ये काफी दूर-दराज क्षेत्र हैं और यहां पर काफी घनी आबादी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन बसों को आने वाले समय में रेगुलर किया जाए। ऐसा न हो कि परीक्षण के आधार पर इनको फेल कर दें और कल को ये बसें बंद हो जाएं। दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि इन बसों को रेगुलर किया जाए ताकि वहां के लोगों को भी बस सुविधा का लाभ मिल सके।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की जो चिन्ता है मैं उससे सहमत हूं कि दूर-दराज के क्षेत्र में बस सुविधा मिलनी चाहिए। मगर उसके साथ मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि कहीं पर साढ़े पांच रुपये किलोमीटर की आय है। तो कृपा करके उन लोगों से भी कहें कि जो बस सुविधा आपको प्रदान की गई है उसका पूरा लाभ उठाएं। यदि बस में सवारियां नहीं होंगी तो बस कैसे चलेगी। इसीलिए इनको ट्रायल पर चलाया गया है कि लोगों को बस में जाने की आदत पड़े और आप भी इसके लिए प्रयास करो। **इसको पूरी नीयत के साथ करेंगे कि वहां पर बसें चलाएं। अगर यहां पर बड़ी बस कामयाब नहीं होगी तो हमें छोटे साधन के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके लिए कुछ-न-कुछ करेंगे।** मगर अध्यक्ष महोदय साढ़े पांच या साढ़े सात रुपये में बसों को चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है जबकि बस का खर्चा 32 या 35 रुपये प्रति किलोमीटर आता है। **फिर भी जहां तक इनकी तीन बसों का सवाल है इनका परीक्षण करते हुए और दूर-दराज के एरिया को मद्देनज़र रखते हुए कुछ-न-कुछ ट्रांसपोर्ट सुविधा ज़रूर देंगे।**

05.04.2016/1140/SS-AS/3

प्रश्न संख्याः 3226

Speaker: Next question Sh. Govind Singh Thakur, absent.

प्रश्न संख्याः 3227 जारी श्रीमती के0एस0

05.04.2016/1145/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3227

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, प्रश्न के "क"," ख" एवं "ग" भाग में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार माध्यमिक पाठशालाओं में एक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) तथा एक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मैडिकल) का पद सृजित किया जाता है। और "घ"भाग में कहा गया है कि जिला कुल्लू में ऐसी कोई माध्यमिक पाठशाला नहीं है जहां पर एक ही प्रकार के अध्यापकों के पद सृजित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दो-दो पद सृजित होने के बावजूद कुल्लू जिला में कितनी इस प्रकार की माध्यमिक पाठशालाएं हैं जहां वर्षों से एक ही कला अध्यापक से काम चल रहा है और दूसरे का कब तक प्रबन्ध कर दिया जाएगा?

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, the Government has not decided not to fill-up both post of TGTs in Middle Schools. Efforts are being made to fill-up the posts of TGT (Arts) and TGT (Non-medical) in all Middle Schools i.e. by promotion or by fresh recruitment. What is the position regarding the posting of Graduate teachers in Kullu district, I don't have this information with me. I will collect it and write to the Hon'ble Member.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना

चाहूंगा कि निःसंदेह पद सृजित हो गए होंगें लेकिन कुल्लू में मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की दो माध्यमिक पाठशालाएं चल रही हैं जो 04.04. 2015 में फंक्शनल हो गई हैं लेकिन वहां पर एक भी स्नातक अध्यापक नहीं है और एक वर्ष से रोटेशन से काम चल रहा है। मैं रशोल स्कूल का उदाहरण देना चाहूंगा, उसका मैंने यहां पर प्रश्न संख्या 1300, 30 मार्च को पूछा था और विभाग ने बड़ा विचित्र जवाब दिया है कि वहां पर प्राईमरी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या 85 है और सृजित पद चार बताए गए हैं। सम्भवतः दो जे.बी.टी. के हैं दो स्नातक

05.04.2016/1145/केएस/एएस/2

अध्यापकों के हैं लेकिन स्नातकों के दोनों पद रिक्त हैं। जवाब बड़ी चतुराई से दिया गया है कि दो भर दिए हैं और दो रिक्त है। वहां पर रोटेशन से टीचर मांगा जा रहा है। सात किलोमीटर पैदल रास्ता है। जब तक रोटेशन वाला अध्यापक ऊपर पहुंचता है तो वह स्कूल बन्द हो जाता है। तीसरे दिन तीसरा अध्यापक जाता है और वहां पर इस प्रकार की स्थिति है इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कम से कम एक स्नातक तो वहां तुरन्त भेजा जाए ताकि वह स्कूल फंक्शनल है तो सुचारू रूप से चले। क्या इसकी व्यवस्था की जाएगी?

Chief Minister: Government has taken note of your suggestion.

05.04.2016/1145/केएस/एएस/3

प्रश्न संख्याः 3228

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है, उसके मुताबिक लैंड ट्रांसफर का केस 27.09.2015 को डी.सी. ऑफिस को भेज दिया गया है परन्तु मैं इनको बताना चाहूंगी कि डी.सी. ऑफिस से कमिशनर धर्मशाला को, कमिशनर धर्मशाला से ए.सी.एस., टैक्निकल ऐजुकेशन को छः जनवरी को और ए.सी.एस., टैक्निकल ऐजुकेशन से ए.सी.एस., रेवन्यू को 23 फरवरी को यह केस जा चुका है। क्या मंत्री जी अपने विभाग को निर्देश देंगें कि इस केस को फॉलोअप करके लैंड ट्रांसफर की परमिशन जल्दी दिला दें और दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इस

बिल्डिंग को बनाने के लिए धन का प्रावधान करने का भी क्या मंत्री जी आश्वासन देंगें?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस केस को हम लगातार अपने लैवल पर फॉलोअप कर रहे हैं और मैंने ए.सी.एस., रेवन्यू को भी कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको करके भेज दें। जितन जल्दी भेजेंगें उतनी जल्दी इस काम को पूरा करेंगें और जहां तक पैसे की बात है, जैसे-जैसे जरूरत पड़ती जाएगी, उपलब्ध करवा देंगें।

05.04.2016/1145/केएस/एएस/4

प्रश्न संख्याः 3229

अध्यक्षः श्री इन्द्र सिंह (अनुपस्थित)

अगला प्रश्न श्रीमती अ0व0 की बारी में---

5.4.2016/1150/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 3230

श्री अनिरुद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, आनन्दपुर गांव के बाद ढली तक फोर लेन में कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र का एरिया आ रहा है। उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है वह दो गुणा दिया जा रहा है। जबकि वहां पर अगर किसी ने जमीन खरीदनी हो तो 4-5 लाख रुपये प्रति बिस्वा से नीचे नहीं मिल रही है। वहां पर प्रभावित लोगों को जो मुआवजे के रूप में फोर लेन की धनराशि मिल रही है वह मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करें और इसको चार गुणा करने की सिफारिश करें।

Chief Minister: Sir, the land is being acquired for four laning and the compensation is being paid as per Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, Section 26 and Section 30 and

Schedules I, II and III. So, compensation will be accorded according to the Act.

5.4.2016/1150/av/ag/2

प्रश्न संख्या : 3231

अध्यक्ष : अगला प्रश्न डॉ0 राजीव बिन्दल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 3232

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री सुरेश कुमार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 3233

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री विजय अग्निहोत्री।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 3234

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री विनोद कुमार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 3235

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री जय राम ठाकुर।

(अनुपस्थित)

5.4.2016/1150/av/ag/3

Question No. 3236

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से I would like to thank the Hon'ble Minister of Agriculture and the Irrigation & Public Health Minister that eight tube wells were complete and for the last 12 years they were non-functional. They have taken a decision to restart them. As per the answer the decision has been taken on 05.03.2016 that I&PH Department will take over these tube wells. I would just request the Hon'ble Ministers, both sides, that whatever has been written is implemented as fast as possible.

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1998 तक कृषि विभाग ने कुछ ट्यूब वैल लगाये थे जो कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को सारे-के-सारे हैंड ओवर कर दिए थे। उसके बाद जो 133 ट्यूब वैल लगे उनमें से 108 आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट को हैंड ओवर कर दिए हैं और शेष 25 के बारे में बातचीत चल रही है। सचिव (आई0पी0एच0) ने ई0एन0सी0(आई0पी0एच0) को लैटर लिखा है कि इन ट्यूब वैल्स को टेक ओवर किया जाए और टेक ओवर करने से पहले उन्होंने हाइड्रोलोजिस्ट की अप्रूवल चाही है कि क्या डैप्थ और पानी ठीक है। इस बारे में दिनांक 22.3.2016 को जवाब दे दिया गया है और शेष बचे 25 ट्यूब वैल्स जल्दी लग जायेंगे।

5.4.2016/1150/av/ag/4

प्रश्न संख्या : 3237

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री गोविन्द राम शर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 3238

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री बिक्रम सिंह जरयाल।

(अनुपस्थित)

(प्रश्न काल समाप्त)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर आ गए।)

कागजात सभा पटल पर टी सी द्वारा जारी

05.04.2016/1155/TCV/AG/1

कागज़ात सभापटल पर

अध्यक्षः अब कागजात सभापटल पर रखें जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति इस मान्य सदन मे निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, उप-निदेशक (अनुसंधान), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःका0 (प्रशि0) ए(3)-I/2013 दिनांक 14.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.03.2016 को प्रकाशित; और

ii. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-15 ।

05.04.2016/1155/TCV/AG/2

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय सहकारिता मंत्री दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को मनाये जा रहे 'विश्व होम्योपैथी दिवस' के बारे में वक्तव्य देंगे ।

Cooperation Minister: Hon'ble Speaker, Sir, with your permission, this is for the information of the Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Members of the House so that it can be carried to the general public also.

Homeopathy is a simple, safe, effective and low cost system of medicine. This two centuries old system of medicine is recognized and integrated into

05.04.2016/1155/TCV/AG/2

National Health Centre delivery system and that of our State of Himachal Pradesh as well.

In Himachal Pradesh, Homeopathic Health Care is being provided through 14 Government Homeopathic Health Centres (12 located at District Headquarters and 2 in rural areas), one Regional Research Institute under Central Council of Research in Homeopathy at Shimla, one Homeopathic College with its peripheral OPDs in the private sector at Kumarhatti, District Solan and a wide network of registered Homeopathic Private Practitioners in the different parts of the State.

Birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann, the founder of Homeopathy on 10th April is being celebrated as World Homeopathy Day. This year India is hosting the International Convention on Homeopathy on 9th and 10th April at Vigyan Bhawan in New Delhi. Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherji will inaugurate the event.

05.04.2016/1155/TCV/AG/3

As part of the celebrations, I have the honour to present to all the Members of this august House a Homeopathic Home Care Kit to be used as First Aid Kit in our efforts to sensitize policy makers about safety and efficacy of homeopathic system of medicine.I hope all the Members have got their kits. Next would be the Ayurveda and Yoga. Similar kit will be presented so that the House and the general public also get the knowledge.

Jai Ayurveda. Thank you so much.

05.04.2016/1155/TCV/AG/4

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। अब श्री महेश्वर सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, 14 और 15 मार्च को मेरे चुनाव क्षेत्र की 'लग घाटी' में भयंकर वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप 'चलांह' नामक गांव के नीचे से भूमि दरक जाने व लैंड स्लाईड के कारण 'सरवरी नाले' में एक झील बन गई और उस झील के किनारे बसा गांव 'समाणा' को खतरा उत्पन्न हो गया, अगर भविष्य में ज्यादा वर्षा हुई तो यह

गांव का गांव बह सकता है। अभी की इस वर्षा में भी जो पैदल रास्ता चलांह होकर लग घाटी के अति दुर्गम क्षेत्र त्युन, समालंग और क्रिगंचा गांव को जाता था, उसकी प्रोजैक्टों वालों ने अपनी मर्जी से वाईडनिंग शुरू कर दी ताकि गाड़ी उनके प्रोजैक्ट साईड तक जा सकें। इस कारण से जो पैदल चलने का रास्ता था उसके नीचे खुदाई की जिसके फलस्वरूप उस सारी पहाड़ी में क्रैक्स आ गए और जो 150 मीटर का रास्ता था वह सारे-का -सारा बह गया। इन गांवों में जहां त्युन है, वहां गांवों की आबादी के अतिरिक्त माता परमेश्वरी के दर्शन के लिए गर्मियों में लोग जाते हैं। उनको जाने के लिए अब कोई भी पैदल रास्ता नहीं है और सारा क्षेत्र कठिनाई में पड़ गया है।

श्री एन0एस0 द्वारा ---- जारी।

05-04-2016/1200/NS/AS/1

श्री महेश्वर सिंह---------जारी।

वैसे तो वन विभाग, कोई सरकार सड़क बनाए तो उसकी फोरेस्ट कलीयरैंस के लिए महीने लग जाते हैं, कभी-कभी वर्ष भी लग जाते हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि वन विभाग ने कोई परमिशन दी है या नहीं दी है या प्रोजैक्ट वालों ने स्वतः ही काम शुरू कर दिया और अब दरारें पीछे भी पड़ी हैं। इसके उपरांत एस.डी.एम. महोदय, मौके पर गए और उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश भी दिए हैं कि इस झील के पानी की ब्लॉकेड को तुरंत निकाला जाए ताकि गांव बच सके। अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को प्रातः जब माननीय सदन में रिसैस हुई तो उस दौरान मैं वहां गया और गांव वालों से भी मिला और मैंने स्वयं भी सारे मौके का ज़ायज़ा लिया। वहां ऐसी विचित्र स्थिति बनी हुई है कि जो गांव समाणा है उसके पीछे से भी समाणा नाला आता है। उस नाले में भी एक टनल बनाई जा रही है। बार-बार लोगों के विरोध के बावजूद कि यहां पर मलवा न फैंको क्योंकि बलॉकेड होगी तो गांव भी बह जाएगा। वहां पर टैम्पोरेरी क्रैट वॉल भी लगाई गई है लेकिन मलबे का इतना ढेर है कि अगर भविष्य में ओर वर्षा हुई और वहां भी ऐसी झील बन गई तो समाणा गांव तबाह हो जाएगा। अगर रात को इस तरह का मामला होता है तो उस गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाएगा।

क्रिगंचा गांव के सामने जो सरवरी नाला है, वहां पर भी एक टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। मलबा फैंकने के लिए कोई डंपिंग साईट नहीं है और मलबा सरवरी नाले में फैंका जा रहा है। अगर यह मलबा वारिश के कारण बह गया तो यह झील बहुत बड़ी झील बन जाएगी। सरवरी नाला या नदी एक ऐसी नदी है, जब इसका जल-स्तर बढ़ता है तो कुल्लू के सरवरी बाज़ार और बस-स्टैंड तक को मार पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर इस प्रकार से निरंकुश होकर प्रोजैक्ट के लोग काम करते रहे और तबाही मचाते रहे तो यह जनहित में नहीं है। अभी भी इतना बड़ा हादसा हुआ। जिन प्रोजैक्ट के लोगों की वजह

05-04-2016/1200/NS/AS/2

से यह हादसा हुआ वे कहीं नज़र नहीं आते। अब इसका सारे का सारा दायित्व प्रशासन पर पड़ा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, समय रहते इन लोगों पर अंकुश लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम-62 के अंतर्गत आकर्षित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जनमानस की सुविधा हेतु जो तीन गांव क्रिगंचा, त्यूण और समालंग हैं उन गांवों को रास्ता टूट गया है। क्या कोई वैकल्पिक पैदल चलने का रास्ता तुरंत बनाया जाएगा ताकि गांव के लोग और श्रद्धालु सेफ्ली जा सकें। क्या कंपनी को मनमाने ढंग से काम करने से रोका जाएगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं अविघटित न हों । जो मलबा गांव समाणा के पीछे इकट्ठा हुआ है उसको तुरंत डंपिंग साईट को ले जाया जाए। छूटे हुए क्रैट वॉल को कंपनी द्वारा बरसात से पूर्व ठीक करवाया जाए। जे.सी.बी लगाकर सरवरी नाले में जो मक है उसको निकाला जाए ताकि ब्लॉकेड निकल जाए और भविष्य में इस प्रकार के चांसिस झील बनने के न रहें। क्या मंत्री महोदय किसी भूगर्भ विशेषज्ञ की रिर्पोट से मान्य सदन को अवगत करवाएंगे? क्योंकि मेरी सूचना है कि वहां पर प्रशासन की रिक्वैस्ट पर कोई भूगर्भ अधिकारी आया था तो उसने उसकी क्या रिर्पोट दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हीं शब्दों को दृष्टि में रखते हुए नियम-62 के अंतर्गत

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी।

05/04/2016/1205/RKS/AS/1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दिनांक 15 मार्च, 2016 को पंजाब केसरी समाचार पत्र में छपे समाचार शीर्षक 'पहाड़ी दरकने से गांव समाणा में बनी झील' से उत्पन्न हुई स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मंत्री जी जवाब देंगे।

उद्योग मंत्री(प्राधिकृत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि दिनांक 15 मार्च, 2016 को जिला कुल्लू के चलाह और क्रिगंचा गांव के मध्य सरवरी नाला के बाएं किनारे पर भूस्खलन के कारण सरवरी नाले का बहाव रुक गया था जिस कारण वहां पर 200 वर्ग मीटर लम्बी कृत्रिम झील बन गई थी। जिला मुख्यालय में सूचना पहुंचते ही उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) कुल्लू घटना स्थल के लिए रवाना हुए और वस्तुस्थिति का निरीक्षण किया।

सरवरी नाले का पानी पूर्णरूप से अवरूद्ध नहीं हुआ है। पानी नाले में गिरे बड़े-बड़े पत्थरों के नीचे से इस समय निकल रहा है। जिस कारण कृत्रिम झील से फिलहाल कोई खतरा नहीं है।

जिलाधीश कुल्लू द्वारा लोक निर्माण विभाग को किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तुरन्त घटनास्थल पर भेजने के निर्देश दिए गए थे। लोक निर्माण विभाग की सूचना के अनुसार बड़ी-बड़ी चट्टानें नाले में गिरी हुई हैं जिस कारण नाले का बहाव अवरूद्ध हुआ है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण लोक निर्माण विभाग की बड़ी मशीनें घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी। परन्तु फिर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी छोटी मशीनों को घटनास्थल पर पहुंचा कर कृत्रिम झील के बहाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाए गए। जिला प्रशासन द्वारा राज्य भू-वैज्ञानिक को भी अपना एक दल घटनास्थल पर भेजने का आग्रह किया गया और वे मौके का दौरा करके आ

गए हैं। उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। इस समय घटनास्थल पर कोई भी नया भूस्खलन होने की सूचना नहीं है। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

05/04/2016/1205/RKS/AS/2

सरकार ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहती है तथा सभी जिलाधीशों व अन्य विभागों को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। जो माननीय सदस्य ने खतरे की चिंता जाहिर की है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे भू-वैज्ञानिक वहां पर जाकर आए हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार है और उस रिपोर्ट को ए.सी.एस. रेवन्यू को पहुंचा दिया जाएगा तथा उस रिपोर्ट के मुताबिक कदम उठा दिए जाएंगे। जिन गांव का रास्ता टूट गया है उसका हम वैकल्पिक प्रबंध करेंगे। जो आपने कंपनी की लापरवाही की बात की है इसमें हम निश्चित तौर पर पड़ताल करवाएंगे। अगर उनकी वजह से यह हादसा हुआ है तो उनकी जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी। वहां पर वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा। जो आपने क्रेट की बात की है उसको ठीक करवा दिया जाएगा और सरवरी नाले से मलवा निकाल दिया जाएगा। इसके लिए जितने भी प्रिवेंटिव कदम उठाने हैं, प्रभावी कदम उठाने हैं वे जल्द ही उठा दिए जाएंगे। इसके लिए आप से भी सलाह ली जाएगी और स्थानीय गांव वालों से भी सलाह ले ली जाएगी। अभी मुझे सचिव साहिब ने बताया कि उन्हें रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद उसमें जो सिफारिशें हैं उससे आपको को भी सूचित करवा दिया जाएगा और मौके पर प्रभावी कदम उठा दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी क्या आप क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं?

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, वैसे तो मंत्री महोदय जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है जिसके लिए मैं आपके माध्यम से इनका आभार व्यक्त करता हूं। मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए एक बात स्पष्ट की कि वहां पर लोक निर्माण विभाग की ड्यूटी लगा दी गई है। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि

श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

05.04.2016/1210/SLS-AG-1

श्री महेश्वर सिंह ...जारी

कालंग से ऊपर लोक निर्माण विभाग का अभी कोई दायित्व नहीं है। वहां न कोई सड़क है और न कोई ब्राईडल पाथ है। यह नुकसान कंपनी की वजह से हुआ है। इसलिए काम अगर लोक निर्माण विभाग करेगा तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कम-से-कम जिनकी वजह से यह सब हुआ, उनका भी तो कोई दायित्व होगा? जब प्रोजैक्ट का कार्य चलता है तो LADA के अंतर्गत भी पैसा जमा करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा घटित होती है तो LADA के अतिरिक्त भी उनको ख़र्च करना पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने कोई फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं ली है। मलबा उन्होंने ही फैंका जिसके कारण यह स्थिति बनी। क्या मंत्री महोदय जिला प्रशासन को ऐसे आदेश देंगे कि गांववासियों के साथ एस.डी.एम. की अध्यक्षता में कोई मीटिंग हो जिसमें हम जन-प्रतिनिधि भी जाएं और इस पर चर्चा करके यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। आपने स्वयं कहा कि यह पूर्णतः बंद नहीं था, लीकेज के कारण पानी निकल गया। परंतु यदि लीकेज न होती, तब तो इससे सब तबाह हो जाते। इसलिए भविष्य में ऐसा न हो, क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे?

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि जिस किसी भी प्रोजैक्ट कंपनी ने वहां पर काम किया है, उनकी वजह से यह सारे हालात पैदा हुए हैं, ख़तरा भी पैदा हुआ है और नुकसान भी हुआ है। **इसकी पड़ताल की जाएगी, रिसपांसिबिलिटी फिक्स की जाएगी और अगर जुर्माना लगाना पड़ा तो हम वह भी लगाएंगे। आपने कहा कि वहां ब्राईडल पाथ नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत होगी तो मैं माननीय वन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके लिए वे पैसे मुहैया करवा दें ताकि वहां पर काम शुरू हो जाए और चलने-फिरने की दिक्कत न आए। इसमें जो भी नुकसान की भरपाई करवाने की बात है, वह करवाई जाएगी और अगर आवश्यक हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।**

05.04.2016/1210/SLS-AG-2

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे संबंधित जो भी बातें समाचार-पत्रों में छपी हैं उनकी प्रति भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहूंगा ताकि इस सामग्री का अध्ययन कर वहां कोई-न-कोई मदद हो सके।

05.04.2016/1210/SLS-AG-3

अध्यक्ष : अब श्री महेन्द्र सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा अधिकृत माननीय उद्योग मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले कल ही मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र की एक ज्वलंत समस्या के बारे में नियम-67 के अंतर्गत चर्चा करने के लिए विधान सभा सचिव महोदय को अपना पत्र दिया था और पत्र के उपरांत जब रात को माननीय इस हाऊस का बिजनस हमारे पास पहुंचा तो आपने नियम-67 के बजाये इसको नियम-62 के अंतर्गत लगाया है।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं इस प्रस्ताव के टैक्सट को पढ़ लेता हूं। "अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हाल ही में जिला मण्डी के अंतर्गत धर्मपुर उप-मंडल (नागरिक) के सृजन उपरांत उप-तहसील टीहरा को प्रशासनिक दृष्टि से सरकाघाट से हटाकर तहसील सन्धोल के साथ जोड़ने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

अध्यक्ष जी, सब-तहसील टीहरा वर्ष 2011-12 में खोली गई है। क्योंकि इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां के लोगों की उप-तहसील की मांग थी और मांग के अनुरूप हमारी सरकार ने उस वक्त इस उप-तहसील को खोला।

जारी..गर्ग जी

05/04/2016/1215/RG/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह----क्रमागत

हर प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से उस तहसील के लोगों के जो प्रशासनिक कार्य थे, सरकाघाट तहसील के साथ होते रहे। क्योंकि दोनों विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का एस.डी.एम., कार्यालय सरकाघाट और धर्मपुर का एस.डी.एम., सरकाघाट के पास ही हुआ करता था। वर्तमान की सरकार ने 25 दिसम्बर, 2012 को शपथ ग्रहण की, उसके उपरांत भी लगातार उस उप-तहसील के अन्तर्गत जितनी भी पंचायतें, जो 9 पंचायतें हैं, उन पंचायतों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई सामने नहीं आई। इस देश में वर्ष 2014 में लोक सभा के चुनाव होने थे और लोक सभा के चुनावों से पहले प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार भ्रमण जारी हुए। प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र का अपना एक भ्रमण रखा जिस दौरान मुख्य मंत्री महोदय ने धर्मपुर में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की। जब धर्मपुर में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने की अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी होने से पहले अच्छा होता कि वहां के स्थानीय विधायक को भी अगर विश्वास में लिया होता। इससे भी आगे बढ़कर यह अच्छा होता कि जो पंचायतों के चुने हुए नुमाइन्दे हैं, उनको भी विश्वास में लिया होता और जो अधिसूचना जारी की, उसमें जल्दीबाजी में जो उप-तहसील टिहरा है उसको प्रशासनिक दृष्टि से सन्धोल तहसील के साथ जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 तक कोई भी ऐसी प्रशासनिक तौर पर उन 9 पंचायतों की उप-तहसील टिहरा के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वर्ष 2014 में सन्धोल तहसील के साथ उन्हें जोड़ा गया, तो उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि लोगों को टिहरा से सन्धोल की दूरी 46 किलोमीटर है। अब जो 9 पंचायतें हैं मैं इन 9 पंचायतों का एक ब्रेक अप दे रहा हूं कि सधोट पंचायत से सरकाघाट की दूरी 5 किलोमीटर और संधोल की दूरी 65 किलोमीटर है, चोलथरा पंचायत से सरकाघाट की दूरी 10 किलोमीटर और संधोल की दूरी 55 किलोमीटर है, सज्जायो-पिपलू पंचायत से सरकाघाट की दूरी 8 किलोमीटर और संधोल की दूरी 65 किलोमीटर है, डरवाड़ पंचायत से सरकाघाट की दूरी 12 किलोमीटर और संधोल की

60 किलोमीटर है, ग्रयोह पंचायत से सरकाघाट की दूरी 14 किलोमीटर और संधोल की दूरी 50 किलोमीटर है, कोट पंचायत से सरकाघाट की दूरी 16 किलोमीटर और संधोल की 48 किलोमीटर है, टिहरा पंचायत से सरकाघाट की दूरी 18 किलोमीटर और संधोल की 46

05/04/2016/1215/RG/AS/2

किलोमीटर है, तनिहार पंचायत से सरकाघाट 20 किलोमीटर और संधोल 44 किलोमीटर है और इसी प्रकार गरौडू(गद्दीधार) पंचायत से सरकाघाट की दूरी 25 किलोमीटर और संधोल की दूरी 40 किलोमीटर है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी परिस्थति पैदा हो गई है। सबसे बड़ी विडम्बना क्या है कि इन 9 पंचायतों के लोगों को संधोल जाने के लिए विवश किया गया है ।

एम.एस. द्वारा जारी

05/04/2016/1220/MS/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी--------

टिहरा से जो संधोल की सड़क है वह हाल ही में बनी है और वर्ष 2008-09 में उस पर बस चली है। उस सड़क का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा कच्चा है। विशेषकर वर्षा के दिनों में उप-तहसील टिहरा के लोगों को संधोल जाने के लिए या तो वाया हमीरपुर होकर संधोल जाना पड़ेगा और वाया हमीरपुर होकर ही संधोल से अपने घरों को लौटना पड़ेगा। इस विचित्र स्थिति को लेकर हमारी जो प्लानिंग की बैठक 4 फरवरी, 2016 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की तो उस बैठक को जहां मुख्य मंत्री जी प्रिजाइड ओवर कर रहे थे वहीं राजस्व मंत्री महोदय भी उस बैठक में मौजूद थे। मैंने इस विषय को वहां उठाया और यह सारा विवरण जो मैंने पढ़ा है, यह इनके ध्यानार्थ लाया। मुख्य मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय ने कहा कि आप इस संदर्भ में हमें कोई ज्ञापन दीजिए। मैंने उचित समझा कि ज्ञापन के तौर पर मैं

बजाए अपना इंडीविजुअल लैटर लिखता, मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी, 8 फरवरी, 2016 को नौ पंचायतों के वहां के प्रतिनिधियों और आम जनता का एक जन-समूह बुलाया और उसमें लगभग 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। जब 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया, उसके उपरान्त हमने एक ज्ञापन 5,000 लोगों के हस्ताक्षरों के साथ वहां से लिया और वहां के पंचायतों के जो चुने हुए प्रतिनिधि, जिनमें बी0डी0सी0 के सदस्य, प्रधान और स्वयं मैं था। हम आदरणीय मुख्य मंत्री जी से 29 फरवरी, 2016 को इसी विधान सभा के अंदर इनके ऑफिस में मिले। हम सबने इनसे निवेदन किया कि एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या इन नौ पंचायतों की जनता के साथ प्रशासनिक दृष्टि से टिहरा को संधोल के साथ जोड़ने से शुरू हुई है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम इसको कैबिनेट में ले जाएंगे और वहां ले जाने के उपरान्त फिर हम इसको जैसे पहले था, वैसा करेंगे। प्रतिलिपि मैंने पहले ही जो मैंने संकल्प दिया था, उसके साथ भी संलग्न की हुई है। उसके बाद हमने एक कॉपी प्रदेश के राजस्व मंत्री महोदय को भी उसी वक्त उनके चैम्बर में जाकर दी और राजस्व मंत्री महोदय ने तो यहां तक कहा कि बस, इसी कैबिनेट में हम इस फैसले को

05/04/2016/1220/MS/AG/2

करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, 29 फरवरी से लेकर 29 मार्च हो गया बल्कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया और लोग बड़े बेताब हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर इसके ऊपर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कानून-व्यवस्था में भी दिक्कत आ सकती है। हम नहीं चाहते हैं कि कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी भी क्षेत्र में आए। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब-जब भी प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता है तो सत्ता के परिवर्तन के साथ ही धर्मपुर चुनाव क्षेत्र के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उस व्यवहार में, बल्कि मैंने तो वह समय भी देखा है जब 21-22 दिसम्बर, 1997 को मेरे ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री आए हुए थे और एक जनसभा में मुझे उठाकर नीचे फैंक दिया था जबकि मैं वहां का चुना हुआ नुमाइंदा था। वहां से उठा करके, चाहिए तो यह था कि सरकाघाट का जो पुलिस स्टेशन था, वह हमारा पुलिस स्टेशन था, मुझे वहां ले जाते लेकिन वहां न ले जाकर के

मुझे जोगेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन में जेल में बंद कर दिया गया। अध्यक्ष जी, रात को 11.00 बजे दो डी0एस0पी0 साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि सर, आपकी जमानत होगी। मैंने कहा, कहां होगी? उन्होंने कहा कि आपकी जमानत मण्डी ए.डी.एम. के कार्यालय में होगी। मैंने कहा कि बहुत अच्छा है और रात को मेरी जमानत के लिए मण्डी में ए.डी.एम. का कार्यालय खुल गया।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

05.04.2016/1225/जेएस/एएस/1

श्री महेन्द्र सिंहः------जारी---

यहां पर भी एच0ए0एस0 कैडर का अधिकारी एस0डी0एम0 जोगिन्द्रनगर बैठता है। उन्होंने कहा कि हमारी तो मज़बूरी है हम तो आपको ले जाएंगे। रात को 1.00 बजे मण्डी पुलिस स्टेशन में दूसरी जेल में डाल दिया। उसके बाद वहां से तीसरी जेल ले गए और रात को गोहर थाने में पहुंचाया और अगले कार्यक्रम में मेरी धर्मपत्नी व छोटी बेटी को भी वहां पर अरैस्ट कर लिया था। ऐसा ही भेदभाव मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वर्ष 2003-04 में जब दोबारा से इस प्रदेश के अन्दर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हमारे चार हजार मज़दूरों को जो पी0डब्ल्यू0डी0 में रखे थे उनको निकाल दिया गया था। यह दूसरी बात है कि हमने कोर्ट के केसिज लड़े। कोर्ट के केसिज लड़ने के साथ-साथ हमने उन चार हजार मज़दूरों को बहाल करवाया और उसके बाद वे आज भी लोक निर्माण विभाग के अन्दर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उसी दौरान एक महासीर सीड फिश फार्म वर्ष 1998 व 2003 के बीच में जब हमारी सरकार थी हमने भारत सरकार से सिद्धपुर के लिए लाया था लेकिन उस फार्म को सिद्धपुर से उठा करके, मेरे चुनाव क्षेत्र से उठा करके मछियाल नामक जगह में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वह क्षेत्र उस वक्त आज के राजस्व मंत्री, श्री कौल सिंह जी के क्षेत्र में पड़ता है और उसको वहां ले गए। इसके साथ-साथ अब जैसे ही वर्ष 2012 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनते ही ऐसे-ऐसे कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। उप-तहसील को यहां से बदल करके वहां रख रहे हैं। हमारा एक बिजली का स्टोर था धर्मपुर मण्डल के पास उस स्टोर को वहां से उठा करके खुडला ले गए। उसी

प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एक पारछू थी, वह 125 करोड़ रूपए की स्कीम है। भारत सरकार में सी0डब्ल्यू0सी0 में फंडिंग के लिए लगी हुई है। दो उसके एन0ओ0सी0 जाने हैं लेकिन प्रदेश सरकार उन एन0ओ0सी0 को नहीं दे रही है। इसी प्रकार से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कौंसल झरेड़ा जो कि ब्यास नदी से पानी उठना है उसमें 10 पंचायतों को जिसमें 3-4 पंचायतें गोपालपुर क्षेत्र की है और 7 पंचायतें मेरे क्षेत्र की हैं, 110 करोड़ रूपए की स्कीम है। सी0डब्ल्यू0सी0 में फंडिंग के लिए लगी हुई है लेकिन दो एन0ओ0सी0 जाने हैं परन्तु प्रदेश

05.04.2016/1225/जेएस/एएस/2

सरकार उन एन0ओ0सी0 को नहीं भेज रही है, जिसकी वज़ह से हमारे वे दोनों प्रोजैक्ट बन्द पड़े हैं।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2013 में, 2014 में और 2015 में जो भारी वर्षा और बादल फटने की घटना धर्मपुर क्षेत्र में हुई है उस बादल फटने और भारी वर्षा के कारण जिस प्रकार से वहां के लिए फंडिंग होनी चाहिए थी उस प्रकार से वह फंडिंग नहीं हो रही है। हमारी एक फ्लड प्रोटैक्शन की डी0पी0आर0 47-48 करोड़ रूपए की प्रदेश सरकार के पास पड़ी हुई है। स्टेक की मीटिंग से क्लीयर हो गई है लेकिन प्रदेश सरकार उस डी0पी0आर0 को भारत सरकार को नहीं भेज रही है। एक ऊठाऊ पेयजल योजना सरकाघाट के नाम से 41 करोड़ की भारत सरकार से फंडिंग आई हुई है और उसका लगभग 80 प्रतिशत काम हुआ है। लोगों में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है लेकिन प्रदेश सरकार का नकारात्मक रवैया उस स्कीम को चालू करने में नहीं है। आज एक ऐसी परिस्थिति केन्द्रीय विद्यालय हमारा सन्धोल का है वह भारत सरकार से स्वीकृत हो चुका है उसमें नोटिफिकेशन हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने उसके लिए केवलमात्र जमीन का प्रावधान करना है। जमीन का हस्तांतरण करना है, लेकिन उस सैंटर स्कूल को जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। टूरिज्म के दो सर्कट 10 करोड़ रूपए के जो धर्मपुर क्षेत्र के लिए हमारी सरकार के समय में आए हुए थे उनके लिए उनमें बी0ओ0डी0 की बैठक हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस बैठक की अध्यक्षता की और वह 10 करोड़ रूपए वापिस भारत सरकार को भेजा और वापिस भेजने के उपरान्त

फिर उस पैसे को वापिस दूसरी योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के बीच में ले आए। सीर खड्ड चैनेलाईजेशन के लिए 63 करोड़ रूपए हमारी सरकार के वक्त में राशि स्वीकृत हुई है।हुई है। लेकिन उस काम को इसलिए शुरू नहीं किया जा रहा है कि धर्मपुर क्षेत्र और गोपालपुर सरकाघाट क्षेत्र में वह काम होना है। ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल सरकाघाट और पपलोग जिसके लिए 40 करोड़ रूपया भारत सरकार से आया था उस ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल के काम को वहां पर ही बन्द कर दिया गया क्योंकि वह धर्मपुर क्षेत्र के बीच में पड़ता है। एक ऐसी स्थिति एल0आई0एस0 भरी-ध्वाली-मड़ी

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

05.04.2016/1230/SS-AG/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

जो 50 करोड़ की नाबार्ड की स्कीम है उसको चालू नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप सिर्फ अपने रैजोल्यूशन के बारे में ही बोलिये। आपका जो प्रस्ताव है उसमें जो कंटैंट लिखा है आप सिर्फ वही पढ़िये।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसी स्थिति जानबूझ कर धर्मपुर की जनता के साथ वर्तमान प्रदेश सरकार खड़ी करना चाहती है कि जितने भी विकास के काम हैं उनको बंद कर दिया जाए। वहां पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई न की जाए। वहां पर जो संस्थान खुले हैं उनको तोड़-मरोड़ करके इधर-से-उधर करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा मुश्किल में डाला जाए। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे राजस्व मंत्री के बहुत फोन आ रहे थे। वैसे वे मुझे याद नहीं करते हैं लेकिन आज मुझे बहुत फोन आ रहे थे कि मैं आज किसी कारण से बाहर हूं और बाहर होने के कारण कल इस पर चर्चा की जाए। यह विधान सभा सचिवालय का काम है। जब विधान सभा सचिवालय में किसी भी दिन के लिए कोई बिजनैस लग जाता है तो फिर किसी मंत्री की डिस्क्रिशन नहीं है कि आज नहीं तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। यह तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी मंत्री की मेहरबानी पर यह हाउस चलता है। यह

हाउस माननीय अध्यक्ष महोदय के संचालन से चलता है। इस सचिवालय से जो बिजनैस पेपर निकलता है उस पेपर के अनुसार इस हाउस में चर्चा की जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह रहेगा कि उप-तहसील टीहरा की नौ पंचायतों में दिक्कत है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। राजस्व मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम इस समस्या का समाधान तुरन्त कर देंगे। हम इसको मंत्रिमंडल में ले जायेंगे और मंत्रिमंडल से क्लीयर करके आपको सूचित करेंगे। मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत आश्वासन मिल चुके हैं इसलिए आज इस हाउस के बीच में आश्वासन दिया जाए कि जिस प्रकार से पहले था, उसी प्रकार से स्थिति बहाल हो जाए या फिर उप-तहसील टीहरा को अपग्रेड करके पूरी तहसील का दर्जा दे दिया ताकि इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई है इसको समाप्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है मैं आपका और आपके सचिवालय का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ-साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द ।

05.04.2016/1230/SS-AG/2

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री जिन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने प्राधिकृत किया है इसका जवाब देंगे।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो चर्चा यहां उठाई है उसके साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के तमाम इश्यु को जोड़ दिया। जबकि यह मुद्दा तहसीलों और उप-तहसील के सृजन को लेकर है। उसकी व्यवस्था को लेकर है।

अध्यक्ष महोदय, मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैः-

उप-मण्डल, धर्मपुर का सृजन सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 4-3-2014 को किया गया था तथा इस उपमण्डल में तहसील सन्धोल, उप-तहसील धर्मपुर व उप-तहसील टीहरा को प्रशासनिक दृष्टि से मिलाया गया है। एक तहसील है और दो उप-तहसीलें हैं। इस सृजन के उपरान्त उप तहसील टीहरा में सभी प्रकार के राजस्व सम्बन्धी कार्य निपटाये जा रहे हैं। उप-मण्डल स्तर पर केवल राजस्व अपीलों का ही निपटारा किया जाता है।

उप-मण्डल धर्मपुर का मुख्यालय धर्मपुर स्थान पर है जोकि स्वयं एक उप-तहसील है। अतः उप-तहसील, टीहरा के उन लोगों को ही, जिनके राजस्व सम्बन्धी वह मामले जो धारा 163(3) व भूमि की तकसीम के दौरान question of title से सम्बन्धित हों, के निर्णय हेतु सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सन्धोल के कार्यालय जाना पड़ सकता है। उप-तहसील टीहरा के स्थानीय वासियों का इसके अतिरिक्त अन्य राजस्व कार्यों हेतु तहसील सन्धोल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तहसील सन्धोल तथा उप-तहसील टीहरा का गठन पूर्व भाजपा सरकार के समय ही दिनांक 29-6-2011 एवं 27-7-2012 को किया गया था। टीहरा उप-तहसील भी आपने बनाई और तहसील सन्धोल भी आपके समय में बनी। जिसमें उप-तहसील, टीहरा में सम्मिलित किये गये पटवार वृतों / क्षेत्रों को प्रशासनिक एवं अन्य पहलुओं के दृष्टिगत ही तहसील सन्धोल के अन्तर्गत रखा गया होगा।

जारी श्रीमती के0एस0

05.04.2016/1235/केएस/एजी/1

उद्योग मंत्री जारी----

वर्तमान में यदि उप-तहसील, टीहरा में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के लोगों को अपने प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों को निपटाने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही है, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे और क्योंकि टीहरा की पंचायतों का जो क्लस्टर है, निश्चित तौर पर संधोल से दूरी पर है और जैसा कि आपने यहां पर डिस्टैंस् के बारे में पढ़कर भी सुनाया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिविज़नल कमिशनर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उन्हें 15 अप्रैल तक अपनी स्पैसिफिक रिकमैंडेशन देने के लिए कहा है कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था क्या की जाए। अब तो 10 दिन के अंदर डिविज़नल कमिशनर की रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी उनकी रिकमेंडेशन्ज़ होंगी, उसके मुताबिक आगामी कदम सरकार उठाएगी और सरकार टीहरा क्षेत्र के लोगों की दिक्कतों से वाकिफ़ है और उसी सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिविज़नल कमिशनर को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उप मण्डल, तहसील, उप

तहसील के गठन एवं पुनर्गठन की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण सर्वे की आवश्यकता होती है जैसे पटवार सर्कल की संख्या, खसरा नं0, रेवन्यू केसिज़ की संख्या आदि-आदि। इस प्रक्रिया के अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी अतः मंडलायुक्त की कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना उचित होगा क्योंकि सिर्फ 10 दिन का समय उनके पास है। रिपोर्ट प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् सरकार फैसला ले लेगी और जनहित में फैसला लिया जाएगा। अगर जनता की मांग के मुताबिक इसको रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ा तो कर दिया जाएगा। सिर्फ 10 दिन का इंतज़ार है, रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी रीऑर्गेनाइज़ करना होगा, कर दिया जाएगा।

05.04.2016/1235/केएस/एजी/2

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मार्च 2014 में इस उप मण्डल का गठन किया गया। वर्ष 2014 के उपरांत जो समस्या पैदा हुई है उसके लिए हमने पहले ही, जब माननीय मुख्य मंत्री जी वर्ष 2015 में सरकाघाट चुनाव क्षेत्र के दौरे पर थे, मेरे साथ लगभग चार-पांच सौ लोग इन नौ पंचायतों के थे। एक प्रतिनिधि मण्डल के रूप में हमने एक ज्ञापन वर्ष 2015 में माननीय मुख्य मंत्री जी को सरकाघाट में जैसे ही ये हैलीकॉप्टर से उतरे थे, दिया था। ज्ञापन देने के उपरांत मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वाकई में यह समस्या है । इनका कहना था कि मैंने तो खुद पूरे क्षेत्र को अपने कदमों से नापा है। वर्ष 2015 चला गया। 4 फरवरी, 2016 को जब प्लैनिंग की बैठक हुई उसमें हमने उस विषय को उठाया और उसके उपरांत इन्होंने कहा कि एक ज्ञापन और दे दो । हमने 29 फरवरी, 2016 को एक ज्ञापन और दे दिया। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि वर्ष 2014,2015 और 2016 तीन साल के क्रम से चली हुई यह समस्या है और तीन साल में हमारे इतने ज्ञापन देने के उपरांत भी आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंतज़ार करें । मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार इस समस्या के प्रति गम्भीर नहीं है। आपने यहां पर दर्शाया है कि आपने एक मण्डलायुक्त को कहा है। अच्छा होता अगर जब हम मुख्य मंत्री महोदय को वर्ष 2015 में सरकाघाट में मिले थे, उस वक्त ही अगर मण्डलायुक्त महोदय को कह दिया गया होता तो आज तक यह समस्या खत्म हो जाती। अच्छा होता कि 4 फरवरी को जब प्लानिंग की बैठक में हमने इस विषय को

उठाया था तो उस बैठक में प्रदेश के समस्त अधिकारी शामिल होते हैं। अगर उस वक्त ही इस बात को कह दिया गया होता, 29 फरवरी से ले कर एक लम्बा स्पैन हो गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

5.4.2016/1240/av/as/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

एक महीने कुछ दिन का हो गया। इतना स्पेन होने के बावजूद भी आपको याद नहीं आई। आज जब यह विषय लगा तो आप कह रहे हैं कि 10-15 दिन और इंतजार करो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब धर्मपुर उप मण्डल की घोषणा की थी तो उस समय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, न किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और न ही किसी डिविजनल कमीशनर की अध्यक्षता में इनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। इन्होंने जब उचित समझा कि धर्मपुर में सब डिविजन बननी चाहिए तो अनाउंस कर दिया। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से जो आज राजस्व मंत्री का कार्यभार देख रहे हैं; मेरा निवेदन है कि इस टालमटोल की प्रक्रिया को छोड़कर आप इस बारे में आज ही फैसला ले लीजिए। अगर सरकार अधिकारियों पर निर्भर करती है जैसे आप कह रहे हैं कि मण्डलायुक्त की रिपोर्ट ठीक नहीं आई इसलिए अब हम सचिव महोदय की अध्यक्षता में कोई समिति बनाने जा रहे हैं। फिर कहेंगे कि यह ठीक नहीं है और अब हम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई समिति बनाने जा रहे हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप आज अनाउंस कर दें कि इस उप तहसील को जैसे यह प्रशासनिक दृष्टि से पहले थी वैसे कर दे या इसको अपग्रेड करके तहसील कर दें। मेरे पास एक और सुझाव भी रहेगा कि अगर प्रशासनिक दृष्टि से जो काम संधोल में किए जाते हैं और नायब तहसीलदार टीहरा में बैठता है उसी को अधिकृत किया जाए कि वह बजाए संधोल जाने के वहीं सारे मामलों का निपटारा कर दिया करें। मैंने आपके सामने तीन ऑप्शन्ज रखी हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इन तीनों ऑप्शन्ज में से किसी एक की आज घोषणा कर दें।

5.4.2016/1240/av/as/2

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूर्व में मंत्री रहे हैं और इनके निर्वाचन क्षेत्र में अब सबडिविजन भी हो गई है। तहसील भी हो गई है और दो उप तहसील भी हो गई है। प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्वाचन क्षेत्र परिपूर्ण है। धर्मपुर उप तहसील, टीहरा उप तहसील, संधोल तहसील और धर्मपुर में एस0डी0एम0 का दफ्तर है। यह निर्वाचन क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह कम्पलीट है। आपने टीहरा के कलस्टर की बात कही है उसको डिसटैंस की वजह से संधोल की दिक्कत आ रही है। पहले सरकाघाट में काम हो जाते थे वह नजदीक था। अब जब इनका अपना युनिट बन गया तो व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत खड़ी हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिविजनल कमीशनर से रिपोर्ट मंगवाई है और सिर्फ दस दिन की दूरी है। माननीय सदस्य इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? दस दिन के अंदर रिपोर्ट आयेगी और उसको व्यवस्थित करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरुरत होगी, सरकार उठा देगी। आप मुख्य मंत्री जी से मिले हैं और उसके बाद ही यह काम डिविनजल कमीशनर को सौंपा गया है कि वह इसमें अपनी रिपोर्ट दे दें कि इसको किस ढंग से रिऑर्गेनाईज किया जा सकता है। सिर्फ दस दिन की बात है और बाकी जो आप कह रहे हैं कि टीहरा उप तहसील का सारा काम नायब तहसीलदार के पास ही दे दिया जाए। 90 प्रतिशत से अधिक पावर तो पहले ही नायब तहसीलदार के पास है। फिर भी रिऑर्गेनाईजेशन की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। दस दिन के अंदर जो रिपोर्ट आयेगी उसको इम्पलीमैंट कर दिया जायेगा। इसमें सरकार या आपकी तरफ से कोई विरोधाभास की तो बात ही नहीं है। बात तो जनता को सुविधा देने और जनहित में फैसला करने की है। आप जो 8-9 गांव के कलस्टर की बात कर रहे हैं कि उनको दूर पड़ रहा है उसके लिए सरकार बहुत जल्दी फैसला करेगी।

श्री प्रेम कुमार धूमल जी टीसी द्वारा जारी

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे घर के साथ का यह क्षेत्र है, जब तक डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं आती और सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं लेती तो यह निर्णय लेने में क्या दिक्कत है कि अगर 90 परसेंट कार्य नायब तहसीलदार कर रहा है तो बाकी 10 परसेंट कार्य भी उसको करने दिया जाये या पहले जैसे सरकाघाट तहसील के साथ जो पटवार सर्कल थे तो इसको उसके साथ अटैच कर दिया जाये, उस समय तक जब तक आप फाईनल फैसला नहीं ले लेते हैं। आप दोनों में से एक अनाऊंस कर सकते हैं। मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप इसके बारे में बोलिए।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि डिविजनल कमिशनर को अधिकृत किया गया है और हमें उसका इंतजार कर लेना चाहिए केवल 10 दिन की ही तो बात है। ये मसला 10 दिन के अन्दर हल हो जाएगा। हम इसका विरोध तो कर नहीं रहे है कि सरकार और कुछ कह रही है और माननीय सदस्य कुछ और कह रहे हैं। जनता को सुविधा देने की बात है इसके लिए 90 परसेंट काम वहां पर नायब तहसीलदार कर रहा है। कुछ तहसीलदार की पॉवर्ज़ कानून के तहत नायब तहसीलदार को दी भी नहीं जा सकती होगी। इसलिए केवल 10 दिन का मसला है और इसमें इफैक्टिव कदम उठा दिए जाएंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, समझ यह नहीं आ रहा है कि मंत्री जी क्यों अडिग है। इस दिल को खुला रखो।

अध्यक्षः मंत्री जी कह रहे हैं कि इसका प्रोसैस शुरू कर दिया गया है।

श्री महेन्द्र सिंहः सर, अगर हमने आज किसी बात को इनके ध्यान में लाया होता तो हम अपनी गलती स्वीकार करते। हम तो अढ़ाई साल से लगातार माननीय मुख्य मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और सरकार के ध्यान में इस बात को ला रहे हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा

हो चुकी है कि लोग आज ऐजीटेशन करने के लिए मजबूर हुए हैं । हमने मंत्री जी को 3 ऑप्शन्ज़ दी हुई है इसलिए 3 ऑप्शन्ज़ में आपको मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि या तो आप उस टिहरा की (--व्यवधान-)

05.04.2016/1245/TCV/AS/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, नियम-62 के अन्तर्गत कोई चर्चा नहीं हो सकती है और आपने जो चर्चा की है उसका ये जवाब दे रहे हैं। आपको सिर्फ क्लेरीफिकेशन मांगनी है।

श्री महेन्द्र सिंहः सर, मैं क्लेरीफिकेशन ही मांग रहा हूं।

अध्यक्षः क्लेरीफिकेशन तो आपने मांग ली है।

श्री महेन्द्र सिंहः जब क्लेरीफिकेशन का जवाब नहीं आ रहा है तो दूबारा, दूबारा हमको क्लेरीफिकेशन मांगनी पड़ रही है।

Speaker: You can't force anybody for it.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, जब क्लेरीफिकेशन का ठीक जवाब नहीं आ रहा है तो हम बार-बार खड़े हो रहे हैं। मैंने तो नियम-67 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्षः नियम-67 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव नहीं बनता है।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, इसलिए हमने 3 ऑप्शन्ज़ सरकार के सामने रखी है। मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं, राजस्व मंत्री महोदय यहां पर है अगर 3 ऑप्शन्ज में भी आपको कोई मंजूर नहीं हैं तो फिर हमारा इस सरकार के खिलाफ़ यह रोष है। ऐसा ही पूरे प्रदेश के अन्दर बाकी लोगों के साथ हो रहा है।

Speaker: Hon'ble Industries Minister, this will be final what you will say.

05.04.2016/1245/TCV/AS/3

उद्योग मंत्री: माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि मेरे जवाब के बाद बाहर मत जाना क्योंकि यह निमय-67 के तहत का तो मसला है नहीं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने निमय-67 के तहत प्रस्ताव दिया था। ये कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार के पास ए0सी0-I ग्रेड की सारी पॉवर्ज़ है और क्वैश्चन ऑफ टाईटल केसिज़ की पॉवर उसके पास नहीं है जोकि बिल्कुल नगन्य है। इस तरह से लगभग सारी पॉवर्ज़ नायब तहसीलदार के
पास है और वहां पर काम हो रहे हैं। सब डिविजन, तहसील व सब तहसील सिर्फ एडमिनिस्ट्रैटिव युनिट ही नहीं हैं, ये लीगल युनिट्स भी है। रैवन्यु और क्रिमिनल लॉ में जुरिस्डिक्शन भी निर्धारित किया जाता है। हमें 10 दिन का समय दो जो कानूनी प्रक्रिया है हम उसको पूरा कर रहे हैं। डिविजनल कमिशनर की रिपोर्ट आ जाएगी । 1 अप्रैल को उनको निर्देश दिए गए हैं और 15 दिन का समय दिया गया है। उसमें 10 दिन बचे हैं

श्री एन0एस0 द्वारा ---- जारी।

05-04-2016/1250/NS/AS/1

उद्योग मंत्री ------- जारी

10 दिन में फैसला आ जाएगा और वहां पर सब कुछ सही कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे सरकार की तरफ से इतना ही कहना है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है। ---(व्यवधान)--

Speaker: No, you can't speak. आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। इन्होंने रैज़ोल्यूशन करवाया this is finished now. इसके बाद कोई चर्चा नहीं होती है। अब कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन होंगे । श्री रवि जी आप नहीं बोल सकते हैं । आप

नहीं बोल सकते प्लीज़। आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। क्या आपने पहले इस चर्चा में नाम दिया है? अगर आपका नाम चर्चा में नहीं है तो आप इसमें नहीं बोल सकते हैं। After the reply of the Minister you cannot speak. आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं वह आपने ले ली है। ----(व्यवधान)-- आपने चर्चा की, इन्होंने जवाब दे दिया है। This cannot be discussed further. No recording please. अब चर्चा नहीं होगी। चर्चा के बाद इनकी क्लैरिफिकेशन होगी उसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी। आप पढ़ के देख लीजिए। आपने चर्चा के बाद क्लैरिफिकेशन मांगी है और इन्होंने जवाब दे दिया है। अब आपने क्या चर्चा शुरू करनी है? इस पर फिर चर्चा शुरू हो गई। यह चर्चा कौन-सी है? इन्होंने बोल दिया है कि 10 दिन इंतजार करो। कमीश्नर के जवाब के बाद इसे रैक्टिफाई कर देंगे। अब चर्चा नहीं हो सकती। After the reply of the Hon'ble Minister, there can be no discussion further in this. अब डिस्कशन नहीं हो सकती। अब कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन होंगे। यह क्या मतलब है? What do you mean by this? आपकी चर्चा के बाद मंत्री जी ने जवाब दे दिया अब आप चर्चा नहीं कर सकते। आप दोबारा चर्चा शुरू नहीं कर सकते। under Rule-62, you can't restart the discussion. आप डिसकशन दोबारा शुरू करने वाले हैं। आप डिस्कशन नहीं कर सकते। एक बार चर्चा हो गई उन्होंने जवाब दे दिया और आप फिर चर्चा शुरू करना चाहते हैं। You can't reopen the discussion.

05-04-2016/1250/NS/AS/2

मुख्यमंत्रीः माननीय राजस्व मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। 10 दिन की और बात है। गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा। आप जबरदस्ती जवाब नहीं ले सकते। ----(व्यवधान)--

(विपक्ष के सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाज़ी करते रहे।)

अध्यक्षः प्लीज़ आप बैठ जाईए। चर्चा के बाद जवाब हो गया और आपने फिर चर्चा शुरू कर दी। यह आपने कौन से रूल के अंडर चर्चा शुरू कर दी? आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब चर्चा होती है, उसके बाद मंत्री जी का जवाब मिल गया तो दोबारा चर्चा नहीं होती है। आप दोबारा चर्चा कैसे शुरू कर रहे हैं? You can't restart the discussion when the Hon'ble Minister is already replying. चर्चा के बाद फिर

चर्चा शुरू करना यह कौन-सा रूल आ गया। मैं कह रहा हूं कि आप दोबारा चर्चा शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपका इसमें नाम ही नहीं है। You are not a speaker in this.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सभामण्डप में आ गए और नारेबाजी करने लगे।)

जब चर्चा का जवाब दे दिया तो फिर चर्चा शुरू नहीं हो सकती।

कार्यसलाहकार समिति का प्रतिवदेन

अब श्रीमती आशा कुमारी जी कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी और प्रस्ताव भी करेंगी कि उसे अंगीकार किया जाये।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) को सदन में प्रस्तुत करती हूं तथा प्रस्ताव करती हूं कि यह मान्य सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी।

05/04/2016/1255/RKS/AS/1

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल ऑफ दी हाऊस में नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह मान्य सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह मान्य सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकार।

05/04/2016/1255/RKS/AS/2

विधायी कार्यः

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 अप्रैल,2016 को सदन में पुरःस्थापित शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक-6) को वापिस लिया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक-6)को वापिस लिया जाए।

अध्यक्षःप्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक-6) को वापिस लिया जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक-6) को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक-6) वापिस हुआ।

05/04/2016/1255/RKS/AS/3

सरकारी विधेयक की पुरः स्थापना

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2016 (2016 का विधेयक संख्याक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2016 (2016 का विधेयक संख्याक- 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2016 (2016 का विधेयक संख्याक- 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2016 (2016 का विधेयक संख्याक- 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री विधेयक संख्याक- 7 को पुरः स्थापित करेंगे।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2016 (2016 का विधेयक संख्याक- 7) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2016 (2016 का विधेयक संख्याक- 7) पुरः स्थापित हुआ।

05/04/2016/1255/RKS/AS/4

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक-4)पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक-4)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

05.04.2016/1300/SLS-AS-1

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल ऑफ द हाऊस में आकर नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

05.04.2016/1300/SLS-AS-2

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।
तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ।

05.04.2016/1300/SLS-AS-3

अध्यक्ष : अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।
तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बनें।
तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

05.04.2016/1300/SLS-AS-4

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए। तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित हुआ।

05.04.2016/1300/SLS-AS-5

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए ।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

जारी ...गर्ग जी

05/04/2016/1305/RG/AG/1

(विपक्ष के सदस्य 'वेल ऑफ दि हॉऊस' में नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्ष महोदय----क्रमागत

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार
खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?
प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।
तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) ध्वनिमत से पारित हुआ।

05/04/2016/1305/RG/AG/2

<u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

अब नियम-130 के अन्तर्गत श्री सुरेश भारद्वाज जी का विषय लगा है यदि माननीय सदन की अनुमति हो, तो इसको दोपहर के भोजन के पश्चात लिया जाए?

ठीक है,

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

05/04/2016/1410/MS/AS/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.10 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

उपाध्यक्षः अब नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव होगा। अब माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "प्रदेश की विशेषकर शिमला शहर की ट्रैफिक प्रणाली पर यह सदन विचार करे।"
उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश की विशेषकर शिमला शहर की ट्रैफिक प्रणाली पर यह सदन विचार करे ।"

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष जी, मैं आज एक महत्वपूर्ण चर्चा नियम 130 के अंतर्गत यहां लेकर आया हूं। आज हम 21वीं सदी में हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और इस प्रदेश में पहले आवागमन का साधन केवल-मात्र पैदल ही था यानी पैदल चलकर ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। अंग्रेजों के समय एक रेलवे लाइन कालका से शिमला तक बनी और फिर एक रेलवे लाइन पठानकोट से जोगेन्द्र नगर तक कांगड़ा के क्षेत्र में बनी। बाकी जो सारा इंटीरियर का एरिया था, उसमें कोई आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे। जैसे-जैसे साइंस की प्रगति हुई, थोड़ी-बहुत गाड़ियां सड़कों पर चलने लगीं। शिमला में एक-दो बसें, जिनमें एक बस गेंडामल हेमराज की हुआ करती थी और इसी प्रकार से एक-दो बसें दूसरी जो कम्पनीज थीं, वे चलाया करती थीं। इसी शिमला शहर के कुसुम्पटी क्षेत्र में हम रहा करते थे जो महासू जिला का हैडक्वार्टर होता था। उस क्षेत्र में शुरू में केवल एक जीप चलती थी वह भी क्योंथल नम्बर की थी। क्योंथल एक रियासत थी और रियासतों को अपने नम्बर नाम के साथ गाड़ियां चलाने की अनुमति थी। तो क्योंथल नम्बर-1 की गाड़ी उधर से गुजरती थी। फिर डी0सी0 महासू और एस0पी0 की जीप होती थी जो उस रास्ते से गुजरती थी। शिमला में बहुत कम गाड़ियां यहां सर्कुलर रोड या जो बाकी प्रतिबन्धित सड़कें हैं, उनमें

चला करती थीं। अगर कभी पंजाब का गवर्नर आ

05/04/2016/1410/MS/AS/2

जाए तो उनकी गाड़ी या हिमाचल प्रदेश के लैफ्टिनैंट गवर्नर या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही गाड़ी यहां चलती थी यानी पहले बहुत कम गाड़ियां चला करती थी। सारे प्रदेश की लगभग यही स्थिति थी। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया, हिमाचल बड़ा होता गया और सन् 1966 में शिमला हिमाचल का पार्ट बना और कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना का एरिया भी हिमाचल प्रदेश में मिल गया। उसके बाद और ज्यादा विकास की गति तेज हुई। सन् 1971 में हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राजत्व को प्राप्त किया। फिर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ पैसे का फ्लो भी आरंभ हुआ और साथ-ही-साथ विज्ञान ने भी प्रगति की। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें बन गई थी इसलिए हिमाचल प्रदेश भी आजादी के बाद एक पूरा प्रदेश बन गया था। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्रगति होनी प्रारंभ हुई और सड़कों का जाल बिछना शुरू हुआ तथा सारे प्रदेश में सड़कें बन गईं। सड़कें बनने के साथ-साथ ट्रैफिक भी बढ़ता गया। पहले यहां लम्बे मुंह की बसें चला करती थीं। वे बसें भी एक-दो ही चलती थीं। शिमला जिला का जो खदराला एरिया है, वहां के लिए शिमला से खदराला बस 6.00 बजे सन् 1954-55 में जाया करती थी और आज भी वह बस 6.00 बजे ही चलती है और वहां से 11.00 बजे वापिस आती है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

05.04.2016/1415/जेएस/एएस/1

श्री सुरेश भारद्वाजः------**जारी**------

वह सड़क स्टेट हाई वे-1 थी अब उसका स्टेटस खत्म हो गया है क्योंकि बहुत सारी सड़कें बाकी बन गई है इसलिए उसकी उतनी अहमियत नहीं रही है। शिमला में जैसे कि मैंने बताया कि पहले बहुत कम गाड़ियां चलती थी। यहां पर अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना होता था या हमारे बड़े-बड़े वकील हुआ करते थे वे रिक्शा में शिमला से महासू की जो कोर्ट्स होती थी या वहां पर मजिस्ट्रेट की अदालतें होती थी

वहां जाते थे तो रिक्शा में बैठ करके और उसमें किताबें रख करके ले जाया करते थे। इधर क्लस्टन में सैशन जज की कोर्ट हुआ करती थी। वहां पर लोग रिक्शा में जाते थे। गाड़ियां यहां पर चलती नहीं थी लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि सड़कें तो वही रही है परन्तु शिमला से बाहर बहुत ज्यादा सड़कें बनी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर बना है इसलिए वहां पर गाड़ियां भी बढ़ी हैं। हालांकि जितनी तेजी से गाड़ियां बढ़ रही है उतनी तेजी से सड़कें और उनकी चौड़ाई व साथ ही साथ पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था करने में हम असमर्थ हो रहे हैं यहां पर चाहे कोई भी सरकार हो, शिमला शहर में तो जो पुरानी सड़कें बनी हुई थी वे उसी तरह की बनी हुई हैं जिसमें रिक्शा चला करते थे। आज उसमें गाड़ियां चल रही हैं। उसका नतीज़ा यह हो रहा है कि शिमला में इधर से उधर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल शिमला में, मैंने पीछे जो विधायक प्राथमिकता की मीटिंग हुई थी उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी थे और मैंने उस दिन भी चर्चा की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी वहीं पर एच0आर0टी0सी0 के अधिकारियों को आदेश दिए थे। शिमला शहर में इतनी लम्बी-लम्बी बसें लगा दी हैं। जहां पर ओल्ड बस स्टैंड है वहां पर बसें मुड़ती हैं। जब वहां पर बसें मुड़ती हैं उसको दो-तीन बार चक्कर मारने पड़ते हैं उसके कारण जब ज़ाम लगता है वह ज़ाम यहां विधान सभा से आगे तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ को जाम लिफ्ट के पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार से लिफ्ट के पास कुछ काम हो रहा है वहां पर होली-डे होम के पीछे तक जाम लग जाता है। अब तो यह स्थिति है कि आप हाई कोर्ट की ओर जाओ या ऊपर माल रोड़ की तरफ भी जाना हो तो उस रास्ते में भी आपको जाम की स्थिति हो जाती है। वहां पर भी गाड़ियां खड़ी मिल जाएंगी। जिसके कारण शिमला में जो बाहर से टूरिस्ट आता है उनको भी प्राब्लम्ज़ होती है। शिमला के लोग जब अपने ऑफिसिज़ को जाते हैं या सुबह के समय बच्चे जब स्कूलों को जाते हैं उनको हमेशा देर हो जाया करती है। जाम के कारण जाने-आने में बहुत मुश्किल हो रही है। शिमला की जो सड़कें है उनको ध्यान में रखते हुए यहां

05.04.2016/1415/जेएस/एएस/2

पर ट्रेफिक की व्यवस्था करनी पड़ती है। हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर हुआ और साथ ही साथ हमारे पुलिस विभाग ने, डी0सी0 शिमला ने ऑर्डज़ किए जिसमें संजौली और

छोटा शिमला दो जगह पर सुबह व शाम वन वे ट्रेफिक कर दिया। मैं समझता हूं कि उसके कारण बहुत सुविधा लोगों को प्राप्त हुई होगी खास करके संजौली में शाम को जब दो-ढाई घंटे के लिए ट्रेफिक बन्द रहता है तो संजौली का बाजार ऐसा लगता है जैसे कि माल रोड़ में लोग घूम रहे हैं। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आबादी हो गई है और वह बहुत बड़ा उप-नगर हो गया है, इसलिए वहां से बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल सर्कुलर रोड़ की है और जो मेन हमारा हाई वे आता है तथा जो लम्बी बसें मैंने एच0आर0टी0सी0 की बताई हैं नीले रंगे की, आसमानी रंग की बसे हैं, इन सबको शिमला में बन्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 प्रोजैक्ट था यह शिमला शहर के लिए था। ये सारी बसें उस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से आई हुई हैं। ठीक है शिमला के साथ आपने शहरी एरिया के क्लस्टर बना दिए और उन क्लस्टर्ज़ में आप बसें चला रहे हैं। लेकिन आप जो बसें चला रहे हैं बाकी जगह जहां पर ये बड़ी लम्बी बसें चल सकती हैं वहां पर इन्हें चलाईए। जहां पर सड़कें ही इनको चलाने योग्य नहीं है वहां पर आप छोटी बसें चलाएं। पहले फेज़ में छोटी लाल रंग की बसें यहां पर आई थी, हालांकि वे ठीक बसें नहीं थी जो एक-दो साल में ही हांफ़ गई थी लेकिन फिर भी आपके पास 800 बसें आई हैं और जो छोटी बसें हैं उनको कहीं आप दूसरी जगह चला रहे हैं और लम्बी बसें शिमला में चला रहे हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

05.04.2016/1420/SS-AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। फिर आपने उन बसों के लिए कहीं कोई पार्किंग की जगह नहीं बना रखी है। हमारा टूटीकंडी के पास बस-स्टैंड बन गया है। वहां पर जो बस अंदर जायेगी और जब उसने बाहर जाना है तो उसको उतना ही वहां पर खड़ा करने की जगह है। प्राइवेट बसों के पास पार्किंग का सवाल ही पैदा नहीं होता परन्तु जो आपकी एच0आर0टी0सी0 की बसें हैं वे भी सारी सड़क में ही खड़ी रहती हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब नीचे की तरफ गाड़ी में जाते

होंगे तो सारी बसें 103 नम्बर की टनल से आगे टूटीकंडी के बाइफरकेशन तक सड़क के किनारे खड़ी मिलेंगी। जब एक साइड को बसें खड़ी रहेंगी तो उसके कारण ट्रैफिक जाम होना स्वाभाविक है क्योंकि जब दूसरी बसें आयेंगी तो उसके इधर-उधर से बाकी गाड़ियां निकल नहीं सकेंगी। इसलिए इनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इनसे जब निज़ात मिलेगी तो सम्भव है कि हम अपने ट्रैफिक सिस्टम को सम्भाल सकेंगे। फिर आपका नेशनल हाईवे बाईपास है उसमें भी काफी ट्रैफिक कंजैशन हो गया है। उस बाईपास को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको ठीक रखने की आवश्यकता है। वहां पर दो पुल टूटे हुए हैं। वे पुल बन रहे हैं। काफी समय हो गया है लेकिन वे पुल बन कर तैयार नहीं हुए हैं। अगर वे पुल बन जाते हैं और वहां से हैवी ट्रैफिक को डाईवर्ट करेंगे तो बाकी गाड़ियां बीच से जा सकेंगी। अंदर के एरिया में आप लोकल बसिज़ चला सकते हैं। जो बाहर की बसें आती-जाती हैं जिनको शिमला शहर में नहीं आना है सीधा आई0एस0बी0टी0 जाना है वे उस रोड से आ सकते हैं। आपका सेब का सीज़न होता है, अन्य सामान को लाने-ले जाने का काम होता है उसके लिए शोघी से वाया मैहली-ब्यूलिया इत्यादि बाईपास को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वह नाबार्ड के अन्तर्गत बना था। लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। उस सड़क को ठीक करने की आवश्यकता है। उसकी मैटलिंग, टारिंग और वाइडनिंग की आवश्यकता है। अगर उसको ठीक कर देंगे तो शिमला की ट्रैफिक कंजैशन से निज़ात पा सकेंगे। इसलिए उस बाईपास को भी दुरूस्त करने की आवश्यकता है। फिर शिमला शहर में जहां पर हमने बहुत सारी पार्किंग बना दी हैं वहां पर पार्किंग वाले लोग कंजैशन कर देते हैं। लिफ्ट के पास पार्किंग बनी हुई है, खासकर जब पर्यटन सीज़न शुरू हो जायेगा तो उनकी गाड़ियां कांग्रेस भवन तक लग जाती हैं। इसलिए जब इधर-

05.04.2016/1420/SS-AS/2

उधर से गाड़ियां आती हैं तो उनको निकलने के लिए जगह नहीं रहती है। जब पार्किंग में गाड़ियों को एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं रहती है तो वे बाहर ही गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जो हाई कोर्ट रोड पर पार्किंग है उस पार्किंग के लिए लोग जाते हैं। जहां पर अब हाई कोर्ट की चैम्बर वाली नयी बिल्डिंग बन रही है

उसके बाहर भी अभी गाड़ियां लगी होती हैं। वहां पुलिस वाले भी होते हैं लेकिन वहां गाड़ियां लगी होती हैं। उसके कारण इधर-उधर ट्रैफिक क्रॉस नहीं कर सकता है। उसमें ज्यादातर अधिकारी या बाकी लोग जिनको जल्दी सचिवालय पहुंचना होता है उनको दिक्कत होती है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसकी ठीक से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। फिर यहां पर प्रतिबंधित और सील्ड रोडस हैं। उसमें भी हमको व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जैसे यहां पर वाया ए0जी0 ऑफिस फिंगास के लिए रोड है, यह ओपन रोड हो। अगर रैस्ट्रिक्टिड भी होना है तो कम-से-कम इस ढंग से हो कि उधर से लोगों को परमिट आने-जाने का मिल जाए। क्योंकि विधान सभा की तरफ भी सील्ड रोड है और विधानसभा से आगे सी0टी0ओ0 तक भी सील्ड रोड है तो अगर हम इस रोड को ठीक से रेगुलेट करेंगे तो छोटी गाड़ियां का खास करके पर्यटन सीज़न में फिंगास तक फ्लो आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार से संजौली से आपका आई0जी0एम0सी0 और लक्कड़ बाज़ार का रोड है उसमें बहुत सारे एक्सपैरीमैंटस हमारे पुलिस महकमा के अफसर करते हैं। कभी उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। कभी वहां से वन-वे कर देते हैं। लेकिन उसके कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि वहां पर टैक्सिज़ काफी चलाई हैं। उसके कारण लोगों को आने-जाने में सुविधा प्राप्त हुई है। लेकिन अगर आप उस रोड को भी वन-वे कर दें, एक साइड से आएं और दूसरी साइड से नीचे चले जाएं तो मुझे लगता है कि कम-से-कम जो आई0जी0एम0सी0 आने वाले मरीज़ या दूसरे लोग हैं उनको सुविधा भी हो सकती है और

जारी श्रीमती के0एस0

05.04.2016/1425/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

आपको ट्रैफिक से निज़ात भी मिल सकती है। आपके जितने सर्कुलर रोड़ व दूसरे रोड़ हैं, इन पर गाड़ियों को खड़े करना शिमला की मज़बूरी है क्योंकि जैसे संजौली में बीच से एक रोड़ है, एक तरफ इंजनघर की तरफ एक वार्ड है और दूसरा ऊपर की तरफ है

दोनों तरफ को गाड़ियां नहीं चलती है। उसमें कोई सड़क नहीं है। उसमें एंम्बुलैंस रोड़ तक नहीं है । लोगों के पास गाड़ियां तो हैं, हम यह नहीं कह सकते कि लोग गाड़िया खरीदना बंद कर दें जैसे बहुत सारे नैगेटिव ऑर्डज़ कई बार उच्च न्यायालय के भी हो जाते हैं कि शिमला में जो गाड़ियां खरीदेगा उनकी यहां पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकती है। मतलब शिमला की जो गाड़ी है उसको शिमला में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। जिसने खरीद ली है ठीक है, आगे के लिए गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती। अगर इस प्रकार का बैन करना है तो सारे जिनको ईयर मार्क गाड़ियां हैं उनको भी बंद कर दीजिए, सरकारी गाड़ियां भी बंद कर दीजिए, जजिज़ की गाड़ियां भी बंद कर दीजिए ताकि सबको पता चले कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको तो सरकारी गाड़ी मिलती है इसलिए रजिस्टर्ड गाड़ी होगी लेकिन जो बाकी लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। इस प्रकार की अगर स्थिति रहेगी तो उससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी इसलिए मैं कह रहा था कि सर्कुलर रोड़ में या बाकी स्थानों पर गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि लोग अपने घरों में पार्किंग बनाने को तैयार है अगर उसमें आप अपने जो आपके बिल्डिंग बाइलॉज़ हैं, उसमें चेंज करते हैं और लोगों को पार्किंग की स्पैशल परमिशन देते हैं कि आप एक मंजिल या दो मंजिल पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं लेकिन वह भी जहां पर सड़क होंगी, वहां पर सम्भव है। जहां सड़क जाती ही नहीं है वहां पर सम्भव नहीं होता इसलिए या आपको गाड़ी किसी पेड पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है या सड़क पर खड़ी करनी पड़ती है। तो सड़क में आप यदि इसके लिए यलो लाईन इत्यादि लगाएं और एक साईड को गाड़ी खड़ी रहे और बाकी आपका ट्रैफिक चलता रहे तो उससे कुछ न कुछ लाभ हो सकता है लेकिन देखा यह गया है कि पुलिस वालों को टारगेट होते हैं .

05.04.2016/1425/केएस/एजी/2

कि आप इतने चालान करेंगें और 31 मार्च को तो आपको करने ही करने हैं और पीछे रेडियों और टैलिविज़न पर भी आ रहा था कि शिमला जिला में ट्रैफिक के कारण जो चालान हुए हैं उनसे करोड़ों रुपये की आमदनी हुई है। उसके लिए मैं एस.पी. साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने करोड़ों रुपये की आमदनी शिमला की करवाई लेकिन आपके पुलिस वाले चालान तो करते हैं लेकिन ट्रैफिक चलाने में वहां पर योगदान नहीं देते।

अधिकांश स्थानों पर जहां पर ट्रैफिक जाम होता है, वहां पर जो गाड़ियों में बैठे हुए लोग होते हैं, उनको ही बाहर आ कर गाड़ियां इधर-उधर करनी पड़ती है और जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, गाड़ियों के चालान तो वे करते हैं और सुबह से शाम तक जितने भी ट्रेफिक पुलिस मिलेंगें अपनी बुक ले कर चालान करते हुए मिलेंगें लेकिन चालान करना पैसा कमाने के लिए तो हो सकता है और अगर कहीं कोई जानबूझ कर ट्रैफिक रूलों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान होना चाहिए लेकिन साथ में शिमला की मजबूरी को देखकर, आम जनता की मजबूरी को देखकर कि गाड़ी कहां पर खड़ी करनी है और किस प्रकार से आपने ट्रैफिक को आगे-पीछे करना है उसके लिए आपको अपने ट्रैफिक वाले कॉंस्टेबलों को हिदायत देनी चाहिए कि वो सड़कों में जाम न लगने दें, गाडियों को निकलवाने का प्रयास वहां पर करें और उसके लिए अधिक से अधिक लोगों को लगाया जाए तो आपकी ट्रैफिक जाम की स्थिति कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, पीछे इन्होंने अपनी रीव्यू मीटिंग में कहा था और बजट में भी उसका प्रावधान किया है कि तीन-चार जगह अलग-अलग सर्कुलर रोड़ से बाईपास जाने के लिए अल्टरनेटिव रोड़ निकाले जाएं उसके लिए कुछ पैसे का भी प्रावधान किया है । उसकी भी व्यवस्था की जाए तो कुछ गाड़ियां उधर से निकल सकती है मेरा एक और निवेदन है कि शिमला में आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जितनी पार्किंग बनी है, पीछे माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने यहां पर जवाब दिया था कि हमारे पास केवल 619 गाड़ियों की अधिकृत पार्किंग शिमला में मौजूद है। उसके अतिरिक्त कुछ सड़कों पर खड़ी करने के लिए दे रखे हैं अब उसमें भी कई जगह जहां पहले सड़कें अधिकृत थी वहां पर बड़े-बड़े होटल बन गए हैं, होटल वालों ने वह पार्किंग खत्म करवा दी है क्योंकि उनकी गाड़ियां उस सारे रोड़ पर खड़ी रहती है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

5.4.2016/1430/av/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज----- जारी

मगर वहां पर बाकी लोगों की गाड़ियां नहीं लग सकती जिसके कारण लोगों को बहुत

सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संजौली में नई पार्किंग बनी है जिसमें 200-250 गाड़ियां पार्क हो रही है। उसके बावजूद सड़क पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है क्योंकि संजौली एक बहुत बड़ा उप नगर है। वहां जिनके पास गाड़ियां हैं उनको वहां रखने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर रात को 5-6 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करनी है तो उसके लिए आपको महीने के 2750 रुपये पार्किंग फीस के रूप में देने पड़ते हैं। आपका जितना महीने का पेट्रोल का खर्चा होता है उससे ज्यादा खर्चा आपको पार्किंग का देना पड़ रहा है। जहां सड़क के किनारे पोलिटिकल लोगों का ज्यादा इनफ्लुअंस होता है वहां से गाड़ियां उठा दी जाती है और जहां नहीं होता है वहां लोगों की दुकान या घर के सामने खड़ी कर दी जाती है। हम दिन-प्रतिदिन देख रहे हैं कि शिमला में जाम केवलमात्र गर्मी के मौसम में नहीं होता वरना सर्दियों के दिनों में भी जैसे आप आजकल देखेंगे तो रेलवे स्टेशन, विधान सभा इत्यादि स्थानों पर भी आपको गाड़ियां बड़ी स्लो गति से चलती हुई दिखाई देगी। शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें जो भी एजैंसीज जुड़ी हुई है चाहे वह परिवहन है, म्युनिसिपल कार्पोरेशन है, पुलिस है और कहीं पर यलो लाइन लगानी है। यलो लाइन के लिए मेरा निवेदन है कि उसमें शिमला निवासी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनकी रेजिडैंट वैल्फेयर ऐसोसिएशन्ज बनी हैं वह उसमें गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मगर आप कहीं यलो लाइन लगाते हैं तो कहते हैं कि इसमें फीस लगा दो। वेतन आयोग द्वारा वेतन बढ़ाने के बाद आज क्लास-iv कर्मचारी भी गाड़ी रखते हैं। गाड़ी रखने के बाद अगर पार्किंग के लिए ऐग्जोर्बिटैंट पैसा देना पड़ जाए या बाकी चीजों के लिए भी पैसा देना पड़ जाए तो उसके लिए एक मुश्किल हो जाती है। कई ऐसे रोड जैसे रामचन्द्रा चौक से शिवालिक होटल तक का है जहां

5.4.2016/1430/av/ag/2

पर पहले गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी। आजकल वहां पर भी बंद कर दी है, उसके बारे में अधिकारियों और बाकी लोगों को भी मालूम है। वहां पर एक डी0एस0पी0 स्पैशल बुलाया जाता है कि यहां पर खड़ी की गई गाड़ियों के चलान करो कि यह यहां पर क्यों खड़ी है। कोठियां आज से नहीं वहां पर पहले से थी। वहां पर अधिकारी इत्यादि पहले से रहते हैं मगर तब कोई कठिनाई होती थी। अब वहां पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

आपको जहां पर स्थान मिलता है वहां पीली लाइन लगाकर अगर गाड़ी खड़ी करने की इजाजत देते हैं तो मैं समझता हूं कि शिमला की प्रोब्लम काफी हद तक हल होगी। इसका एक अल्टरनेटिव यह है कि यहां पर टोटल गाड़ियां बेन कर दीजिए। शोघी के बाद और कुफरी से नीचे यहां पर गाड़ियां नहीं आयेंगी। अगर आप शिमला में गाड़ियां अलाउ करते हैं तो उसके लिए आपको अल्टरनेटिव प्रावधान करने पड़ेंगे। उसमें आपको पार्किंग का प्रावधान करना पड़ेगा, सड़क का करना पड़ेगा। किसी स्थान पर सड़कें जहां चौड़ी हो सकती है तो उसको भी किया जा सकता है। राजभवन के पास छोटा शिमला साइड, आपके ओक ओवर के साथ ओपन रोड है। उसी को ऐक्सटैंड करके आगे शिमला क्लब से नीचे लिफ्ट तक छोटी गाड़ियों के लिए ओपन कर दें तो उससे भी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। हम जानते हैं कि शिमला की सैंक्टिटी बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम कुछ स्थानों को गाड़ियों से मुक्त रखें। मगर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम केवलमात्र ब्रिटिशकाल की बातें दोहराते रहें कि अंग्रेज यह करते थे, वह करते थे इसलिए हमें भी उनकी ही नकल करते रहना चाहिए। इस चीज से बचने के लिए हमें कुछ ऐक्शन ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे आम लोगों को सुविधा मिलें। अंग्रेजों के समय में यहां पर गाड़ियां नहीं चलती थी। उस समय तो हिन्दुस्तान का कोई पजामा पहनने वाला व्यक्ति मालरोड पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। आप मालरोड पर तो चल सकते हैं लेकिन अंग्रेजों का नाम लेकर आज हैरिटेज के नाम पर बिल्डिंग नहीं बना सकते। हैरिटेज के नाम पर सड़क पर गाड़ी नहीं ले जा सकते। कहीं पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से या कहीं पर पुलिस ने अपने आदेशों से मालरोड को चारों तरफ से बंद कर दिया है।

टीसी द्वारा जारी

05.04.2016/1435/TCV/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज ---- जारी ।

पुलिस वाले जब रिमोट से बैरियर खोलेंगे तब आप अन्दर जा सकते हैं। ऐसा ही बैरियर इन्होंने रामचन्द्रा चौक पर लगा रखा है, अगर किसी ने पैदल चलना हो तो उस बैरियर से निकला ही नहीं जा सकता है जब तक वह बैरियर नहीं खुलता है। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकल कोर्ट ने भी करना है, वह भी प्रैक्टिकल करें लेकिन हमें इस बात की

ओर ध्यान देना चाहिए कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वह बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र का तगाज़ा है। हमारी बहुत सारी चीजों में अडंगेबाजी उठ जाती है। आज भी जैसे यहां पर प्रतिबंधित सड़कों के बारे में एक कानून आया फिर वह विड्रा करना पड़ा। इस हाऊस में बड़ी क्लीयर कट डिस्कशन हुई थी और मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें मन्त्रिमण्डल ने भी और बाकी लोगों ने भी उसमें क्लीयर कट डॉयरेक्शन्ज़ दी थी लेकिन उसके बावजूद भी वह ठीक प्रकार से नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अधिकारी अपनी मनमानी करना चाहते हैं। लोकतंत्र में सुपरमेसी तो पॉलिटीकल लीडरशीप की है। मन्त्रिमंडल जो चाहेगा, मुख्य मंत्री जो चाहेगा, वह होना चाहिए न कि जो हाईकोर्ट का जज़ मांगता है या चाहता है वह होना चाहिए। यदि कांस्टीट्यूश्न के खिलाफ कोई काम होता है तो उसके ऊपर उनको पूरा अधिकार है लेकिन कांस्टीट्यूशन के अन्दर काम करने के लिए तीनों विंग्ज के पास अलग- अलग अधिकार है और सरकार के अधिकारियों को वह करना चाहिए जो सरकार उनको बोलती है, जो यह हाऊस तय करता है, जो डिस्कस करता है और उसके आधार पर कोई निर्णय होता है, वह अधिकारियों को करना/मानना चाहिए तथा वह इम्प्लीमैंट होना चाहिए तब लोकतंत्र में लोकशाही का वर्चस्व माना जाएगा, लेकिन जब अधिकारी इस बात से डरते रहेंगे कि यदि हम ये कर देंगे तो पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार जो डिसीजन हो गया है या डिसीजन दिया गया है that should be implemented by the bureaucracy. अगर यह नहीं होगा तो

05.04.2016/1435/TCV/AG/2

लोकतंत्र नहीं चल सकता, देश/प्रदेश नहीं चल सकता है। वैसे ट्रैफिक की समस्या एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी है, जहां देश-विदेश से यहां लोग आते हैं। दिल्ली, मुम्बई और कोलकता की तरह हम एक स्थान से 15 मिनट की दूरी पर है और उसके लिए 2 घण्टे पहले चलना पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों का जिनका टाईम बहुत प्रीसियस होता है उनको उससे प्रोब्लम आएगी और जिनको समय पर स्कूल/आफिसिज़ पहुंचना है अगर

वह समय पर न पहुंच सके तो उससे देश और प्रदेश का भी नुकसान होगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा को यहां पर लाया हूं , यह शिमला की समस्या नहीं है आप सोलन या किसी अन्य स्थान पर भी जाएंगे तो वहां पर भी इसी प्रकार की प्रोब्लम है। सर्दियों में जब धर्मशाला में हमारा सैशन होता है, हम वहां पर जाते हैं, वहां पर भी इसी तरह की प्रोब्लम उत्पन्न हो जाती है, खास करके मकलोड गज़ में और वहां चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों पर इस सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा लाई। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.04.2016/1435/TCV/AG/3

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य में से एक माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी ने प्रदेश में विशेषकर शिमला शहर की ट्रैफिक प्रणाली पर नियम-130 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और अभी भारद्वाज जी कह रहे थे कि यह छोटी सी एक समस्या है। समस्या भले ही छोटी हो लेकिन अगर इसमें सुधार होता है तो पर्यटन की दृष्टि से इसमें दूरगामी परिणाम होंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। शिमला तो प्रदेश की राजधानी है यहां तो यह समस्या होना स्वभाविक है और फिर पर्यटन की नगरी भी है। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब ब्याह शादी आती है तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में स्वार होकर आते हैं और वहां भी ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा --- जारी

05/04/2016/1440/RKS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

आय में गुणात्मक वृद्धि हुई है। छोटे से परिवार के घर में भी अलग-अलग 2-3 गाड़ियां है। इसलिए बढ़ती हुई ट्रैफिक जैम और पार्किंग की व्यवस्था की समस्या सारे ही प्रदेश में व्यापक रूप से है। चाहे रामपुर की बात करो, कुल्लू की बात करो, मण्डी शहर की

बात करो, भुन्तर की बात करो, चाहे छोटे कस्बे की बात करो या मनाली की बात करो। जहां तक शिमला का सबंध है यहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां जो छोटी-छोटी जगह नगर निगम क्षेत्र के अंदर आती है, वहां पर छोटी-छोटी पार्किंग बनना चाहिए। यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे लोगों को आय का स्रोत प्राप्त होगा। जिन-जिन लोगों को परिवहन मंत्री जी की अपार कृपा से परमिट मिलेंगे उनके लिए यह एक अतिरिक्त आय का साधन भी होगा। इसके अतिरिक्त मैंने एक प्रश्न के माध्यम से शिमला के पुराने बस स्टैंड के निकट की एक समस्या मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाई है। प्रश्न संख्याः 3087, 30 तारीख को पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा गया था कि जो पुराने रेलवे स्टेशन हैं जहां भलकू के नाम से म्यूजियम बना हुआ है उसके नीचे रेलवेज के पुराने गोदाम थे। इसके अतिरिक्त उस जगह में और कुछ भी नहीं है। अगर नए रेलवे स्टेशन तक देखें तो रेलवे की बहुत सी प्रोपर्टी है। लेकिन यह प्रसन्नता का विषय है कि यहां की जगह के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में लिखा है कि 'पुराना बस स्टैंड भलकू रेल म्यूजियम के समीप रेलवे की जमीन पर पी.पी.पी. मोड से अथवा रेलवे एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी से मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का मामला प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर रेलवे से भी उठाया गया है।' जहां मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा वहां मैं इनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस कार्य को पी.पी.पी. मोड पर युद्ध स्तर में करें जिससे लोगों को बहुत सुविधा होगी। पुराने बस स्टैंड में जो ट्रैफिक जैम रहता है उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

05/04/2016/1440/RKS/AG/2

उपाध्यक्ष महोदय, भुन्तर हमारा एक अधिसूचित क्षेत्र है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र नितांत महत्वपूर्ण है। मणिकर्ण को जाने वाली सारी ट्रैफिक भुन्तर से ही होकर जाती है। वहां पर एक बॉटल नैक था। जो डबललेन नेशनल हाईवे में पुल है वह पर्याप्त है लेकिन बीच में एक छोटा पुल टूट गया था और सरकार ने एमरजेंसी में एक वैली ब्रिज बना दिया था। वह वैली ब्रिज तंग है। उस पुल के सामने सब्जी मंडी है। जब सब्जी मंडी और टूरिस्ट की भीड़ होती है तो वहां पर घंटों ट्रैफिक जैम रहता है। अभी नेशनल हाईवे पर करोड़ों रुपए स्वीकृत करके उस छोटे वैली ब्रिज को डबललेन ब्रिज

से रिप्लेस करने के लिए धनराशि उपलब्ध हो चुकी है। हाईड्रोलिक डाटा जा चुका है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर उस पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाए तो उससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि वहां पर जो बोटल नैक है वह समाप्त हो जाएगा। जहां तक सब्जी मंडी का सवाल है सब्जी मंडी के परिसर के साथ वन विभाग की काफी भूमि लगती है। लेकिन उस सब्जी मंडी के अंदर जाने के लिए केवल एक एंट्री है, आऊटगेट नहीं है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

05.04.2016/1445/SLS-AG-1

श्री महेश्वर सिंह ...जारी

उसके पीछे शमशी में दूसरे एंड पर फोरैस्ट डिपार्टमैंट की कलौनी है। उधर से एक रास्ता है जो शमशी बाजार में निकलता है। अगर यह रास्ता निकाल दिया जाए, उसको आऊट गेट बनाया जाए और वहां जो छोटी गाड़ियां सब्जी लेकर जाती हैं उन की पार्किंग के लिए व्यवस्था हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

इसी प्रकार पुराना या पारला भून्तर बाजार है। उस तरफ 2-3 जगह लोगों के क्रशर हैं। क्रशर में जो टिप्पर के माध्यम से रेत और बजरी का ढुलान होता है, उसके लिए बाजार होकर छोटा-सा शॉर्ट कट है जिससे एक किलोमीटर का फर्क पड़ता है। जब सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाना होता है या शाम के समय वापिस घर आना होता है तो इतना ट्रैफिक जॉम होता है कि घंटों इंतजार करके पैदल जाना पड़ता है। वह 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं क्योंकि सब टिप्पर वाले उस शॉर्टैस्ट रूट से आते हैं जबकि बजौरा में एक बड़ा पुल उपलब्ध है। जो टिप्पर उधर से आते हैं वह बजौरा होकर नेशनल हाईवे से आ जाएं और भून्तर बाजार होकर आएं तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने जिला के एस.पी. महोदय से निवेदन किया। मैंने कहा कि आप थोड़े दिनों के लिए पुलिस लगाकर इसको केवल टिप्पर के लिए वन वे कर दीजिए। अगर वह बाहर से आते हैं तो भून्तर बाजार की समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महेश्वर सिंह जी, इसमें एक दिक्कत है। यह मैजिस्ट्रेट को नोटिफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप इसके लिए मैजिस्ट्रेट से आग्रह कर लीजिए। अभी कुछ

रोक तो लगी है लेकिन सुबह-शाम ट्रैफिक जॉम आज भी ज्यों का त्यों है। अगर इसका समाधान हो जाता है और वह वाहन बजौरा होकर सीधे भून्तर आएं और वहां से बड़े पुल से जाएं तो फिर पारले भून्तर की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

जहां तक कुल्लू शहर का संबंध है, कुल्लू शहर में भी ट्रैफिक जॉम की समस्या है। लेकिन प्रभुकृपा से वहां ढालपुर मैदान है जहां अवैध रूप से पार्किंग करके काम चल रहा है। गत वर्ष सरबरी नाले पर LADA के अंतर्गत पैसा स्वीकृत हुआ और

05.04.2016/1445/SLS-AG-2

मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने उस पुल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया जिसका काम अभी चल रहा है। जब यह पुल बन जाएगा तो सारी छोटी गाड़ियां सरबरी पार कर बिल्कुल ढालपुर बाजार कोर्ट के नीचे पहुंच सकती हैं। वहां से शॉर्ट कट के लिए अगर पौड़ियां बनती हैं या शिमला की तरह वहां कोई लिफ्ट लग जाए तो ढालपुर कोर्ट की पार्किंग में जो ट्रैफिक जॉम लगता है; फिर सारे-के-सारे एडवोकेट उस भूमि के टुकड़े पर पार्किंग करके दो मिनट में लिफ्ट से सीधे कोर्ट पहुंच जाएंगे और उन्हें बाजार के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

इसी प्रकार अखाड़ा बाजार है। अभी संभवतः इसी दशहरा मेले के अवसर पर मुख्य मंत्री महोदय के कर-कमलों द्वारा नगर परिषद् ने पार्किंग के उद्घाटन करवाए जो कि बाजार के बीच में है। असल में वह पार्किंग नहीं थी । उसका उद्देश्य था कि बाजार के पीछे जो फ्लड्ड प्रोटैक्शन वर्क है, जिधर से सीवरेज लाईन गई है उसको कवर करके छोटी गाड़ियों के लिए पैट्रोल पम्प से लेकर , जो ब्यास नदी के मोड़ के एक कोने पर है, रामशिला तक बाईपास निकल जाए ताकि छोटी गाड़ियों के बाहर से निकलने से राहत मिले। काफी हद तक यह हुआ है। इसलिए अगर इसको कनैक्ट किया जाता है तो अखाड़ा बाजार की जो ट्रैफिक जॉम की समस्या है, वह हल होगी। इसके लिए हमने मंत्री महोदय जी से भी निवेदन किया कि उसको बस स्टॉप बनाओ क्योंकि वहां बड़ा स्टैंड है। इन्होंने आदेश कर दिए। लेकिन वहां एक यूनियन बैठती है। वह बार-बार कहती है कि यह तो लाहौल वालों का बस स्टैंड है। वहां लाहौल वालों की जगह नहीं है। अब तो सारा प्रदेश एक है। जो बड़ा बस स्टैंड है, वहां क्यों पार्क नहीं करते? अगर छोटा

बस स्टैंड वहां बनता है तो रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि वर्कशॉप दोनों की है, इसलिए फालतू गाड़ियां वहां रखें,

जारी..गर्ग जी

05/04/2016/1450/RG/AS/1

श्री महेश्वर सिंह-----क्रमागत

तो पार्किंग की एक समस्या का समाधान हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ लगती अखाड़ा बाजार में जो सब्जी की उप-मण्डी है उसके बाद इतना क्षेत्र है कि अगर एक कोने में वहां छोटी गाड़ियों की और सब्जी मण्डी में जो छोटी-मोटी गाड़ियां आती हैं, अगर उनकी पार्किंग की व्यवस्था होगी, तो वहां भी राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत कुछ है, मुझे लगता है कि और सदस्य भी बोलने वाले हैं और समय का अभाव भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं वहीं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

05/04/2016/1450/RG/AS/2

उपाध्यक्ष : अब डॉ. राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ. राजीव बिन्दल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी ने एक लोक महत्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय इस सदन में नियम-130 के अन्तर्गत लाया है मैं उसी पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चन्द सुझाव यहां रखना चाहूंगा। वैसे सभी अनुभवी हैं। जो सरकार चला रहे हैं वे भी अनुभवी हैं और अधिकारी भी अनुभवी हैं। अब आवश्यकता उसको कहीं-न-कहीं कार्यान्वित करने की है। जब हम ट्रैफिक जाम की बात करते हैं, तो एक नज़र में सीधे-सीधे ट्रैफिक पुलिस

नज़र आती है या ट्रैफिक रुका हुआ नज़र आता है। अगर उसके पीछे हम नज़र दौड़ाएं, तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके कारण ट्रैफिक जाम रहता है। अगर हम उन पहलुओं के ऊपर चिन्तन नहीं करेंगे और उनका समाधान नहीं करेंगे, तो ऐसा होगा जैसा पेड़ के पत्ते गिरते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर आज हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह ट्रैफिक जाम दिखाई देता है, तो उसके पीछे कारण है वाहनों की बढ़ती हुई संख्या। सर्वविदित है कि वाहन प्रदेश में आ रहे हैं और आने भी चाहिए। जैसे-जैसे affluence बढ़ेगा, वैसे-वैसे वाहन बढ़ेंगे। वाहनों के बढ़ने के साथ-साथ यह एक पहाड़ी राज्य भी है। जो भी व्यक्ति अपना निजी वाहन लेता है उसका घर सड़क से दूर है और वह कहीं-न-कहीं गाड़ी रखने का प्रयास करता है। या तो वह कहीं सरकारी पार्किंग में रुकने का प्रयास करता है या सरकारी सड़क पर गाड़ी को रखने का प्रयास करता है। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं रहता। यह एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है जिसके कारण सड़कों के ऊपर लगातार दवाब बढ़ता जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ जो और महत्वपूर्ण पहलू है वह प्रदेश में सड़कों की दुर्दशा है। इस पर हम जब तक चिन्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। माना सड़क में गड्ढे हो सकते हैं, माना सड़क कम चौड़ी हो सकती है, लेकिन जो सड़कों के वर्म्ज हैं, सड़कों के किनारे हैं यदि हम उन किनारों की थोड़ी सी भी रिपेयर या मेन्टीनेंस कर दें, तो बहुत बड़ी राहत हमें ट्रैफिक जाम से मिल सकती है। इसी सदन में लंबी चर्चा हुई। चाहे वह विषय मैंने रखा, श्री महेश्वर सिंह जी या श्री सुरेश भारद्वाज जी या अन्य माननीय सदस्यों ने रखा कि पाईपें या

05/04/2016/1450/RG/AS/3

टेलिफोन वायर्स डालने के लिए सड़कों की खुदाई होती है और खुदाई होने के बाद, एक महीने तक सड़कें खुदी रहती हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं, ट्रैफिक जाम भी होता है और एक तरफ का रास्ता भी रुका रहता है। वह सिर्फ उसके कारण ही नहीं है। शहर के अंदर या आस-पास के क्षेत्रों में अनेक कारणों से सड़कों के वर्म्ज, सड़कों के किनारे रुके रहते हैं। उदाहरण के लिए शहर से कोई एक-दो या पांच सौ मीटर पर

कोई मकान बना रहा है उसकी मैटीरियल की stalking सड़कों के ऊपर होती है। वह ईंटा, रेता, बजरी इत्यादि उतारता है। उसके कारण भी बड़ी मात्रा में ट्रैफिक जाम लगता है। इसी प्रकार से सड़कों में अनेक प्रकार के छोटे-छोटे सुधार किए जा सकते हैं। कहीं पर बॉटलनेक है। जैसा अभी श्री महेश्वर सिंह जी भून्तर के एक बॉटलनेक की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से हर नगर से गुजरने वाली सड़क के ऊपर बॉटलनेक मिल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नाहन में है और

एम.एस. द्वारा जारी

05/04/2016/1455/MS/AS/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

गुरू गोविन्द सिंह मोहल्ला एक बहुत बड़ा बोटल नैक है और जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, वहां रूकावट रहेगी। इसी तरह से पुलिस चौकी 'कच्चा जोड़' एक बहुत बड़ा बोटल नैक है। उसको भी जब तक ठीक नहीं करेंगे, तब तक वहां रूकावट रहेगी। अब यह सुधार लोक निर्माण विभाग को करना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद होम डिपार्टमैंट इस चर्चा का उत्तर देने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास लोक निर्माण विभाग भी है और होम डिपार्टमैंट भी है। मेरे पास चन्द सुझाव हैं और ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमैंट हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि अगर किसी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसको नीचे से निकाल करके क्रेन सड़क पर छोड़ देती है। हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर सड़कों में कई सालों से ऐसी ही 100-150 या 200 गाड़ियां खड़ी हैं जिनका कोई मालिक नहीं है और न ही उनके बारे में कोई पूछने वाला है। उन गाड़ियों को न तो पुलिस वहां से हटाती है और न ही लोक निर्माण विभाग हटाता है। उन गाड़ियों के लिए सड़क ऐसी पार्किंग बनी है जो ट्रैफिक जाम का परमानैंट कारण है। इसी के साथ एक और बात है। जो पुलिस थानों में गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रखी जाती हैं, उनसे पुलिस थाने भर गए हैं। अब उसके बाद पुलिस वालों ने उन गाड़ियों को सड़कों के किनारे रख दिया है। नाहन के पुलिस थाने के बाहर ऐसी 150 गाड़ियां आइडल खड़ी हैं और वे गाड़ियां टूटी हुई हैं। उनको हटाने के लिए कोई

व्यवस्था नहीं है और वे गाड़ियां सड़कों में जाम का कारण बन रही हैं। यानी मैं दो चीजें कह रहा हूं। व्यवस्थाओं में सुधार करना और व्यवस्थाओं की कमी होने पर भी उसको सुचारू रूप से चलाना, दोनों चीजों को हमें साइड-बाई-साइड करने की आवश्यकता है। अगर शिमला से हम शुरू हो जाएं तो तारादेवी के पास देखेंगे कि कम-से-कम सौ गाड़ियां आइडल रूप से पार्क होंगी और सरिये वाले की दुकान से लेकर तारादेवी के मोड़ तक भी कम-से-कम सौ गाड़ियां खड़ी होती हैं। सारे मंत्रियों की गाड़ियां वहां से जाती हैं परन्तु मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री किसी पुलिस वाले को इस बारे में बोलता होगा। पुलिस के अधिकारी या आई0ए0एस0 ऑफिसर्ज की गाड़ियां भी वहां से जाती हैं लेकिन किसी को कोई चिन्ता नहीं है।

05/04/2016/1455/MS/AS/2

हम शोघी में जाएं तो वहां ट्रक लोडिंग/अन-लोडिंग कर रहे होते हैं। ट्रैफिक रूका होता है लेकिन किसी को कोई चिन्ता नहीं होती है। वहां पर पुलिस का व्यक्ति भी खड़ा होता है लेकिन लोडिंग/अन-लोडिंग बन्द नहीं होती है। समस्या का समाधान ऐसे करना होगा कि लोडिंग/अन-लोडिंग के प्वाइंट मटीरियल सहित पूरे प्रदेश में, हर गांव और शहर के अंदर आइडेंटिफाई करके चिन्हित करने होंगे। जब तक हम लोडिंग/अन-लोडिंग के प्वाइंट चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इस चीज को सर्टन करना जरूरी है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने उदाहरण के लिए दो चीजें बताई हैं। वैसे सारे प्रदेश में ऐसा ही हाल है। वह चाहे शोघी है, तारादेवी है, सोलन का बाइपास है, धर्मपुर है, कुम्हारहट्टी है, कालाअम्ब है या कोई अन्य स्थान है। सभी जगह सेम सिचुएशन है। हर जगह ऐसे वाहन खड़े हैं और लोडिंग/अन-लोडिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने लोडिंग/अन-लोडिंग के प्वाइंट डिसाइड नहीं किए हैं इसलिए समस्या तो रहेगी।

एक और बात है। हम बाईपास बनाने के ऊपर जोर देते हैं और बाईपास बन भी जाते हैं। कई जगह जहां बाईपास बन गए हैं, वे बाईपास नगरों में कन्वर्ट हो गए हैं। हर बाईपास के किनारे दुकानें बन गई हैं। दुकान वाले ने एन्क्रोचमैंट करके अपनी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी की हुई है। सड़क के किनारे वर्कशॉप बनी है और वर्कशॉप वाले की रिपेयर और मैंटीनेंस की गाड़ियां वहां सड़क पर खड़ी होती हैं। कुल-मिलाकर के वे

बाईपास अब बाईपास नहीं दिखते बल्कि वे पूरी तरह से छोटी सी संकरी सड़क के रूप में दिखाई देते हैं। हम उसके बारे में अगर चिन्ता करेंगे तो 90 प्रतिशत समस्या का समाधान हो सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि केवल लोक निर्माण विभाग और होम डिपार्टमैंट दोनों मिलकर इस चीज को चिन्हित करे,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

05.04.2016/1500/जेएस/एएस/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः-----जारी-------

एक छोटा सा काम लेकिन उससे बहुत लाभ हो सकता है। कहीं दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने के बाद जो दो वाहन भिड़ जाते हैं तो कई घंटे तक ट्रैफिक ज़ाम लग जाता है और उसके बाद वह ट्रैफिक ज़ाम नहीं खुलता। क्योंकि पुलिस के लोग आएंगे और आ करके वहां पर मौका मुआयना करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे। एक सिद्धांत के तौर पर समयबद्ध कार्यक्रम तय करें। अटल स्वास्थ्य सेवा चलाई हमने उसका टाईम तय किया कि 35 मिनट में अटल स्वास्थ्य की गाड़ी मरीज़ तक पहुंचेगी। अब घटा करके 30-25 या 15 मिनट किया होगा। हम इस बात को पुलिस डिपार्टमैंट में भी एन्श्योर करें कि जब दुर्घटना होगी हमारा व्यक्ति आधे घंटें में, एक घंटे में या 15 मिनट में वहां से वाहन को हटा देगा और फोटोग्राफी कर लेगा। कानूनी उसमें सहायता की जरूरत है तो उसको भी लेना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में अनेक त्यौहार, अनेक यात्राएं चलती हैं। चलनी भी चाहिए वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन जब यात्राएं चलती हैं तो यात्राओं के संचालन के समय अगर समुचित व्यवस्था की जाए तो ट्रेफिक ज़ाम नहीं होगा। एक बार यात्रा निकलती है तो उसके पीछे 100 वाहन खड़े हो जाते हैं। जल्दी सभी को लगी है। एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद 24-24 घंटे तक जाम लगता है। उसकी वजह से मरीज़ों के वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसको करने की आवश्यकता है। जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें पार्किंग स्लॉट्स ज्यादा बनाने की जरूरत है। वह सबको मालूम है। मैंने आपके

ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु लाएं हैं। मैं केवल उन्हीं को स्पैसिफाई करूंगा। हर नगर में, हर गांव में, हर सड़क पर लोडिंग/अनलोडिंग प्वाईंट चिन्हित करें। उनको रेखांकित करें। आईडल खड़ी हुई पार्किंग्ज़ वहां से रिमूव करें। जो टूटे हुए वाहन है उनको जगह-जगह, जहां-जहां पर पार्किंग रहती है उनको वहां से हटाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। पुलिस के कब्ज़े में जो वाहन है वे जगह-जगह खड़े हैं उनको वहां से रिमूव करके कहीं पर रखने के लिए उनकी परमिशन लेने की जरूरत है। अन्तिम और महत्वपूर्ण बात जितनी सड़कें बनी है उन सड़कों पर हर दो या तीन किलो

05.04.2016/1500/जेएस/एएस/2

मीटर के बाद कोई चौड़ा स्थान बनाना चाहिए जहां पर कोई व्यक्ति गाड़ी खड़ी कर सकता है, पंक्चर लगवा सकता है, किसी का इन्तज़ार कर सकता है या फिर वह चाय-पानी पी सकता है। वहां पर शौचालय या बाकी चीजों की सुविधा हो सकती है। इससे कई फायदे होंगे। हमारे टूरिस्ट प्लेसिज़ डवैल्प हो जाएंगे। बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा। इन सब चीजों की तरफ ध्यान देते हुए अति महत्वपूर्ण विषय श्री सुरेश भारद्वाज जी जो ले करके आए हैं उस पर गम्भीरता के साथ यदि तीन विभाग मिल करके काम करेंगे तो हम बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इतना कहते हुए उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.04.2016/1500/जेएस/एएस/3

उपाध्यक्षः अब श्री महेन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, नियम-130 के अन्तर्गत श्री सुरेश भारद्वाज जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन के बीच में लाई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब प्रदेश में सड़कों की लम्बाई केवलमात्र 288 किलोमीटर थी। सरकारें बनी और इन भाग्य रेखाओं का निर्माण कार्य बड़े व्यापक स्तर पर शुरू किया गया। इन सड़कों की 288 किलोमीटर से बढ़ती हुई लम्बाई आज लगभग 34 हजार किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। 34 हजार किलोमीटर जो आंकड़ा है यह तो मात्र लोक निर्माण विभाग के आंकड़े हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

05.04.2016/1505/SS-AS/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

कुछ सड़कें ऐसी हैं जोकि फॉरैस्ट डिपार्टमैंट ने बनाई हैं। कुछ सड़कें ऐसी हैं जोकि एम0पी0 लैड के माध्यम से बनी हैं या एम0एल0ए0 फंड के माध्यम से बनी हैं। कुछ छोटी सड़कें ऐसी हैं जोकि बैकवर्ड एरिया सब-प्लान के माध्यम से बनी हैं। कुछ छोटी-छोटी सड़कें मनरेगा के आने से उसके माध्यम से हर गांव और कस्बे तक बनने जा रही हैं। अगर इन सारी सड़कों की कैलकुलेशन करें तो मुझे लगता है कि लगभग 40 हजार किलोमीटर छोटी-बड़ी चौड़ाई वाली सड़कें इस प्रदेश के अंदर बन चुकी हैं। पूर्ववक्ताओं ने ठीक कहा है कि आज़ादी के वक्त हमारी आर्थिकी सुदृढ़ नहीं थी। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, हमारे ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी मजबूत होती चली गई। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से हमारे प्रदेशवासियों ने अपनी गाड़ियां रखनी शुरू कर दीं। आज 2016 में इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि लगभग 3000 बसें एच0आर0टी0सी0 के बेड़े में हैं। लगभग 3500 बसें प्राइवेट सैक्टर के बीच में हैं और लगभग 10 लाख छोटी गाड़ियां इस प्रदेश के अंदर पंजीकृत हो चुकी हैं। अगर इन सब गाड़ियों की तरफ हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो सड़कें पहले हमने सिंगल लेन करके बनाई थीं, वे गाड़ियों को देखते हुए कम पड़ गई हैं। अब सिंगल लेन से डबल लेन की व्यवस्था की गई है। डबल लेन के उपरांत फिर फोर लेनिंग की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है। उदाहरण के रूप में परवाणू से शिमला फोर लेनिंग बन रहा है। कीरतपुर से मंडी, कुल्लू, मनाली फोर लेनिंग बन रहा है। जालंधर से मंडी वाया हमीरपुर फोर लेनिंग बन रहा है। पठानकोट से मंडी फोर लेनिंग बन रहा है। जब भी कोई राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किया जाता है या जब भी कोई स्टेट रोड प्रोजैक्ट में किसी सड़क को डाला जाता है तो उस वक्त सबसे पहले यह देखा जाता है कि जिन सड़कों को डबल लेन या फोर लेन कर रहे हैं वहां पर ट्रैफिक लोड कितना है। ट्रैफिक लोड के आधार पर ही डबल या फोर लेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र में भी हर कस्बे में छोटी-छोटी सड़कें बन चुकी हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे व्यापारिक केन्द्र यानी

कॉमर्शियल हब बनते जा रहे हैं। अब जब कॉमर्शियल हब बन रहे हैं तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जिस ट्रैफिक लोड के मुताबिक सिंगल लेन बनी थी, अब वह सड़क उस ट्रैफिक को चलाने में असमर्थ हो चुकी है। मेरा सरकार से और विशेष करके मुख्य मंत्री महोदय से

05.04.2016/1505/SS-AS/2

निवेदन रहेगा कि जैसे भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार का है वैसा ही प्रदेश के अंदर हमारा मंत्रालय होना चाहिए। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग किसी अलग मंत्री के पास होता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट किसी और मंत्री के पास होता है। ट्रांसपोर्ट विभाग वाले लोक निर्माण विभाग पर ठीकरा फोड़ते हैं और पी0डब्ल्यू0डी0 वाले ट्रांसपोर्ट के ऊपर किसी बात को फेंकते हैं,

जारी श्रीमती के0एस0

05.04.2016/1510/केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

इसमें अगर पी.डब्ल्यू.डी., ट्रांसपोर्ट और टी.सी.पी. इन तीनों को मिलाकर एक और व्यवस्था कर दी जाए ताकि हम सड़क बनाने की जब डी.पी.आर. बनती है, उसको बनाती बार हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दो-दो सौ मीटर की दूरी पर या सौ-सौ मीटर दूरी पर उसके लिए पासिंग प्लेसिज़ बनाना अति आवश्यक है। जब भी कोई डी.पी.आर. बनती है, चाहे वह किसी भी योजना के अंतर्गत बने, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनें, चाहे नाबार्ड के अंतर्गत बने, चाहे सी.आर.एफ. के अंतर्गत बने, चाहे नेशनल हाईवे के अंतर्गत बने, जब भी हमारी कोई डी.पी.आर. बनती है तो उस वक्त इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हर सौ, डेढ़ सौ या दो सौ मीटर के ऊपर पासिंग प्लेसिज़ का होना अति आवश्यक है। हम एक बात और देख रहे हैं कि जितनी भी मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं वे सारी की सारी जो प्राईवेट सैक्टर की हैं, किसी की टायर की दुकान है, किसी की पंक्चर की दुकान है, किसी का ईंजन का काम है, वे

सारी की सारी सड़क के किनारे हैं । वे सभी सड़क के किनारे गाड़ियां खोलकर उनकी रीपेयर एण्ड मेंटिनैंस करते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आप हर सड़क पर वहां का ट्रैफिक लोड देखकर वहां पर सर्विस लेन बनाईए जो आपकी सर्विस लेन्ज़ बनेंगी उसमें जितने मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं, आपके जो छोटे-छोटे ढाबे हैं, टी स्टॉल्ज़ हैं, वहां पर खाने-पीने की व्यवस्था है, अगर आप उस सारी व्यवस्था को उस सर्विस लेन में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे भी ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी । यह तो आज की चिन्ता है लेकिन आज से दस साल बाद क्या होगा? उपाध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहां की पहाड़ियां ही हमारी दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इन दूरियों को कैसे कम किया जाए ? टनल्ज़ का क्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ था लेकिन अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तीन-साढ़े तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग ने जिन टनल्ज़ को बनाना था, जिनके लिए वार्षिक योजना के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान किया गया था, साढ़े तीन वर्षों में हम उन टनल्ज़ की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जहां हमें ऐसा लगे कि हम इस दूरी को कम दूरी में

05.04.2016/1510/केएस/एजी/2

परिवर्तित कर सकते हैं वहां पर अगर हम टनल्ज़ की व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा एक और सुझाव रहेगा कि आज हम जब दूसरे प्रदेशों के अंदर जाते हैं वहां हम देखते हैं, मैं दिल्ली, चण्डीगढ़ या दूसरे प्रदेश जहां प्राईवेट कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज्यादा हैं, का उदाहरण देना चाहूंगा। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें आज ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फ्लाई ओवर बन रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसे पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने जिला की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में कहा उसके समाधान के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि शहरी क्षेत्र के बीच में अगर हम फ्लाई ओवर बनाते हैं तो उससे हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। जहां तक पार्किंग की बात आती है, पार्किंग व्यवस्था के लिए जो हमारा शहरी क्षेत्र है, अब तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हमारे समाज के अंदर सभी अच्छे लोग नहीं है, कुछ ऐसे भी तत्व हैं कि कोई अगर अपनी गाड़ी खरीदता है, उसके घर तक गाड़ी नहीं पहुंचती है तो उसको अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करनी पड़ती है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

5.4.2016/1515/av/as/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं कि गाड़ियों के टायर खोलकर ले जाते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां पर कितनी गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों के मुताबिक पार्किंग की व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा रहेगा। सड़कों का जितना विस्तार होना था, हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मात्र कहीं 5 प्रतिशत सड़कें बनने के लिए बाकी हैं। अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो मेरा एक सुझाव रहेगा। अगर हमें इस प्रदेश के पर्यावरण को ठीक रखना है तो हमें रोप-वे का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे ऐसे बहुत सारे स्थान है जैसे हम शिमला से रामपुर व कुल्लू की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि लोग बड़ी ऊपर से सब्जी / दूसरा सामान सड़कों तक लाते हैं या फिर सड़कों से अपने घरों तक ले जाते हैं। इन छोटे रोप-वेज के लिए भी वैसे तो मुझे ऐसे याद है कि पिछले वर्ष के बजट में प्रावधान किया था लेकिन मैं आज किसी प्रश्न को देख रहा था। उस प्रश्न के उत्तर के अनुसार सब्जी या दूसरा सामान लाने ले जाने के लिए अभी तक किसी भी रोप-वे का काम शुरू नहीं किया गया है। उसके ऐस्टिमेट बने हैं मगर काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि अगर हम रज्जू मार्गों की तरफ ध्यान दें तो किसानों/बागवानों को इसका विशेष रूप से लाभ होगा। एक समय था जब हमारे स्नोडन और कमला नेहरु अस्पताल शहर के बीच में बने थे। अब समय परिवर्तित हो चुका है। आबादी के साथ-साथ मरीजों की संख्या बढ़ चुकी हैं मगर सड़कें वही हैं जो उस वक्त हुआ करती थी। सड़कों को चौड़ा करने के लिए हमारे पास बहुत कम विकल्प है। हम उनको बहुत कम चौड़ा कर सकते हैं मगर यदि हम यह बोलें कि उनको डबल लेन या फोर लेन करें तो यह सम्भव नहीं है। इसलिए जितने भी स्वास्थ्य संस्थान या शैक्षणिक संस्थान हैं; इनको हम शहर से बाहर ले जाएं तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि काफी राहत मिलेगी। कई बार ऐम्बुलैंस में बहुत सीरियस मरीज आ रहा होता है और आगे सड़क पर जाम लगा होता है। अब ऐम्बुलैंस भी तो सड़क पर ही चलनी है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट गईं, बहुत सारे व्यक्ति

सदा-सदा के लिए इस संसार को छोड़ कर चले गये। इस दृष्टि से अगर ऐसे संस्थान शहर से बाहर बनें जैसे हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। यह कॉलेज आबादी से हटकर बना है और वहां पर अभी तक कोई ट्रैफिक की प्रोब्लम नहीं है। हमें नये शहर बसाने पड़ेंगे। अभी यहां पर शहरी विकास मंत्री जी नहीं बैठे हैं। इस प्रदेश में शिमला, मंडी, कुल्लू, धर्मशाला

5.4.2016/1515/av/as/2

तथा चम्बा इत्यादि सारे शहर सेचुरेटिड प्वाईंट पर पहुंचे हुए हैं। इसलिए हमें शिमला से हटकर न्यू टाउनशिप स्थापित करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें धर्मशाला और कुल्लू से हटकर नई टाउनशिप बनानी पड़ेगी क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक भावना पैदा हुई है कि एक अच्छी शिक्षा के लिए, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शहर के नजदीक रहना आवश्यक है। इसलिए उनकी दौड़ शहर की तरफ है। इस दौड़ की वजह से शहर में बहुत ज्यादा कनजैशन हो चुकी है इसलिए मेरा आग्रह/सुझाव है कि अगर सरकार प्रदेश के ऐसे शहरों जो कि सेचुरेटिड प्वाईंट पर पहुंच चुके हैं उनको टी0सी0पी0 के मुताबिक नये स्थानों पर बसाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। स्विटजरलैंड और हिमाचल प्रदेश की तुलना की जाती है जबकि वहां की आबादी कम है और हमारी ज्यादा है। मैं यह कहूंगा कि स्विटजरलैंड से ज्यादा

टीसी द्वारा जारी

05.04.2016/1520/TCV/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

ज्यादा सुन्दरता हमारे प्रदेश की है लेकिन हमें पर्यटन को जिस प्रकार से विकसित करना चाहिए था तथा इसके लिए जो एक मास्टर प्लॉन बनना चाहिए था उस मास्टर प्लॉन को बनाने में भी हम अभी तक कोई ठोस कदम /नीति नहीं बना पाये हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा क्योंकि पर्यटन विभाग इनके पास है, पयर्टन को हम जितना सुदृढ़ करेंगे, पर्यटन के लिए हम कोई प्रदेश व्यापी मास्टर प्लॉन

बनाएंगे, उससे हमारे इस प्रदेश का जो बेरोज़गार नौजवान है उसको सैल्फ इम्प्लाईमैंट घर द्वार पर मिलेगी। प्रदेश से बाहर से जो पर्यटक यहां पर आता है, उसको हर प्रकार की सुख सुविधा मिलनी चाहिए। इस बार पीलिया की बात आ गई तो जिन पर्यटकों ने यहां पर बुकिंग करवाई हुई थी, उनमें से आधों ने तो वैसे ही बुकिंग कैंसल करवा दी होगी कि यहां पर तो आजकल पीलिया फैला हुआ है। पीलिया तो केवल मात्र कुछ ही समय के लिए था लेकिन उसका इफ़ेक्ट एक सीजन पर पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त पीने के पानी, सड़कों और बिजली की व्यवस्था, इनका होना बहुत आवश्यक है। बिजली की व्यवस्था में तो हमारा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर है। यहां बिजली की व्यवस्था की ओर से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो पीने के पानी की व्यवस्था है वह एक साफ सुथरी व्यवस्था होगी तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रोहतांग को लेकर ऐसी नेग्टिविटी बनी हुई है कि जितनी भी स्नो लेक्स है, वह रोहतांग में ही है और पूरे हिन्दुस्तान का पर्यावरण रोहतांग की वज़ह से ही खराब हो रहा है। हमे नये प्वाईंट चिन्हित करने पड़ेंगे जिसके लिए हमें नई नीति बनानी पड़ेगी। आज एक ऐसी स्थिति है मेरे नज़दीक जो शहर है, वह सरकाघाट है, वहां हमने जो मिनी सचिवालय बनाया हुआ है उस मिनी सचिवालय में हमने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि जब इसको बनाया गया तो उसके बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह हमने नहीं की है और यह व्यवस्था न होने की वज़ह से आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पार्किंग के लिए बाहर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन पार्किंग के लिए बाहर भी

05.04.2016/1520/TCV/AG/2

स्थान नहीं मिल रहा है अगर पार्किंग के लिए बाहर स्थान मिल भी जाएगा तो उस पार्किंग तक गाड़ी ले जाना ही मुश्किल है। यदि कोई आएंगे तो वह उन्हीं सड़कों के माध्यम से आएंगे जो आज सड़कें वहां पर बनी हुई है। उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी ने इस हाऊस के बीच में रखा है। हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि इस विषय के ऊपर विशेष ध्यान दें। मुझे नहीं पता कि कौन इसका जवाब दे रहा है,शायद माननीय मुख्य मंत्री जी दे रहे होंगे। लेकिन जो -जो

सुझाव हमारी तरफ से आये हैं और आपको लगता है कि सकारात्मक है, आप उनके ऊपर अधिकारी को आदेश करें ताकि इस प्रकार से इस प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए हम ठोस नीति को लेकर ठोस कदम उठाएं और आने वाले समय में अपने लोगों को एक अच्छी तस्वीर यहां छोड़कर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

05.04.2016/1520/TCV/AG/3

श्री जय राम ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नियम-130 के अन्तर्गत बड़ा महत्वपूर्ण विषय यहां इस माननीय सदन में श्री सुरेश भारद्वाज जी ने लाया है, मैं भी चन्द शब्द इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रस्ताव है, प्रस्ताव में विशेषकर के जिक्र तो शिमला शहर का है लेकिन इसमें प्रदेश का भी जिक्र है। इसलिए जहां तक शिमला की बात है क्योंकि शिमला में हम लोगों का भी रहना होता है और जैसे हमारे सभी साथियों ने कहा कि शिमला पर्यटन की दृष्टि से एक इंटरनेशनल डैस्टिनेशन है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सबसे अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आज 2 मेडिकल कॉलेज हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं लेकिन एक दौर था जब हिमाचल प्रदेश में एक ही मैडिकल कॉलेज था।

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी।

05/04/2016/1525/RKS/AS/1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

आज 2 मैडिकल कॉलेज हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। लेकिन एक दौर था जब हिमाचल प्रदेश में एक ही आईजीएमसी मैडिकल कॉलेज, शिमला में चलता था। उस दृष्टि से हमारे प्रदेश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है या जो कोई बीमार आदमी होता है उसको शिमला रैफर किया जाता था। आज भी यहां रैफर किया जाता है। यहां की ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ज्यादा खराब हुई है जिसके कारण

बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । एक दौर था जब अंग्रेजों ने शिमला शहर बसाया था। उस समय 25000 की आबादी के लिए यह सारी व्यवस्था की गई थी। चाहे यह सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल योजना की बात हो। आज 25,000 की आबादी अढाई लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। जहां तक सड़कों की बात है उसमें शिमला का जो कोर एरिया है, जो शिमला का प्रमुख शहर है, चाहे वह माल रोड जाने की बात है, चाहे स्कैंडल प्वाईंट की तरफ जाने की बात है, चाहे रिज मैदान की तरफ जाने की बात है, चाहे आईजीएमसी की तरफ जाने की बात है ये तमाम सड़कें अंग्रेजो के समय में बनाई गई थी। इन सड़कों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है अन्यथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वही सड़कें हैं। अब 25,000 की जगह अढाई लाख आबादी हो गई है। अभी माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे कि किसी जमाने में शिमला में एक, दो, चार या दस गाड़ियां होती थी आज परिवार में बाप की गाड़ी अलग है, बीबी की गाड़ी अलग है और बच्चों की गाड़ियां अलग है। पार्किंग की असुविधा से बहुत बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की असुविधा का इसलिए सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को घर बनाने की इज़ाजत तो दे दी गई, लोगों ने घर बना दिए और घर बनाने के साथ स्वाभाविक रूप से आज दुनिया की दौड़ में हिमाचल प्रदेश भी पिछे नहीं रहा। यहां पर भी काफी प्रगति हुई है। लोगों के पास साधन आए हैं। लोगों के पास पैसा आया है। पैसा आने के बाद आदमी सुविधा के साथ रहना चाहता है। वह गाड़ी खरीदता है। परन्तु गाड़ी की पार्किंग के लिए आपके पास सुविधा नहीं है। जब पार्किंग की सुविधा नहीं है तो वह अपनी गाड़ी सड़क में पार्क करेगा। सड़क में गाड़ी पार्क

05/04/2016/1525/RKS/AS/2

करने की वजह से आधी सड़क कवर हो जाती है। जब गाड़ियां दोनों तरफ पार्क हो जाती है तो बीच में पैदल चलने की ही गुंजाईश रह जाती है। एम्बूलैंस को सड़क से निकालने में कठिनाई होती है। शिमला शहर जो इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है उस दृष्टि से शिमला में ट्रैफिक से निजात पाने के लिए नीति बनाई जाए और उस नीति में जो भी करने की आवश्यकता है उसमें विलम्ब नहीं करना

चाहिए। दुनिया भर से पर्यटक शिमला घुमने के लिए आते हैं। जब वह दो-दो घंटे ट्रैफिक में फंसते हैं तो वह दूसरी बार यहां आने के बारे में नही सोचते हैं। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात यह है कि आईजीएमसी आपातकालीन डील करने के लिए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है। उसके लिए जो भी अप्रोचिज है, जो भी सड़के हैं वहां पर घंटों जैम लगा रहता है। जब जैम नहीं खुल पाता है तो मरीज को पीठ पर बैठाकर आपातकालीन में पहुंचाने की नौबत आती है। हमने यह स्थिति कई बार अपनी आंखों से देखी है। उस प्वाईंट को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि आईजीएमसी को कनैक्ट करने वाले जितने भी रोड़स हैं वह रोड़ दोनों तरफ ट्रैफिक से भरे रहते हैं। जब अस्पताल पर मरीज आता है तो उसके साथ अटैंडेंट भी आता है। वह मरीज को एडमिट करता है या दिखाने आता है तो गाड़ी कहां पार्क करेगा? वहां पर पार्किंग की सुविधा बहुत कम है इसलिए उसे सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करना पड़ती है। पार्किंग की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक को रेग्यूलेट करने के लिए प्रशासन कोशिश तो कर रहा है लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा है जिसके कारण प्रशासन के भी हाथ खड़े हो गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

05.04.2016/1530/SLS-AG-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

हिमाचल प्रदेश में हम शिमला की बात करते हैं। लेकिन यहां और भी ऐसे स्थान हैं। मनाली की हालत कैसी है? मनाली के लिए कितनी दूर से लोग किस-किस सोच और सपने के साथ आते हैं? लेकिन जो आनंद लेने के लिए आते हैं, जब वहां ट्रैफिक में फंसते हैं तो उनको किस दौर में से गुजरना पड़ता है? मुझे लगता है कि इस विषय को मैं अपने साथी गोविन्द ठाकुर जी के लिए छोड़ देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मुझसे पहले मेरे साथियों ने कही, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करता हूं। एक वक्त था जब सुविधा के लिए आदमी गांव से शहर की ओर आता था। अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य संस्थान, अच्छी खाने की व्यवस्था और

मार्किटिंग के लिए व्यवस्था शहर में ही उपलब्ध होती है। इसलिए स्वभाविक रूप से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आना ज्यादा होने के कारण लोग धीरे-धीरे शहरों में बस गए। इसके कारण शहरों के नजदीक ट्रैफिक भी और आबादी भी बढ़ गई।

इस दौर में, मुझे लगता है कि आदरणीय महेन्द्र सिंह जी द्वारा कही गई बात पर सोचने की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश में जितने भी शहर हैं, चाहे मण्डी है, शिमला है, धर्मशाला है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मनाली है या कोई भी है; आबादी के हिसाब से, सड़कों के हिसाब से या मकान बनाने की जितनी क्षमता इन शहरों में थी, वह एग्जॉस्ट हो गई है। सरकार को तुरंत इस प्रस्ताव के साथ आने की आवश्यकता है कि वह शहर से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने की दृष्टि से आगे बढ़ें। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य संस्थान पहुंचेंगे तो शहर को ट्रैफिक कंजैशन से निजात मिलेगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा शिक्षा संस्थान नजदीक मिलेगा; अच्छा स्कूल होगा, कॉलेज होगा तो शहर में भीड़-भड़क्का कम होगा, गाड़ियां कम होंगी और आबादी भी कम होगी।

इसलिए यह ज़रूरी है कि शहर से इस प्रदेश को गांव की ओर ले जाएं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण परिवेश का राज्य है। इसलिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं देंगे तो अच्छा होगा। जिन कालौनियों की बात की जा रही है कि शहर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर

05.04.2016/1530/SLS-AG-2

उन्हें बसाएंगे, वह हमें प्लॉन करना चाहिए और वहां पर लोगों को बसाने की योजना बनानी चाहिए। हमें टाऊनशिप के लिए योजना बनानी चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यहां हमारे कुछेक चिन्हित स्थान हैं। वह चाहे चिंतपुरनी है, ज्वालाजी है, बज्रेश्वरी माता मंदिर है या कुल्लू, मण्डी या हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्थानों पर धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। हम अपने क्षेत्र में जब शिकारी माता मंदिर जाते हैं तो वहां 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। हमने एक तंग-सा रास्ता शिकारी माता तक पहुंचा दिया है लेकिन वहां पर पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां लोग 12-12 घण्टे

ट्रैफिक में फंसे रहते हैं जिसके कारण बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए यह बिंदु भी ध्यान देने का है। हमारा टूरिस्ट सीजन, उसके साथ टूरिस्ट डैस्टिनेशन और साथ में जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों पर ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए बड़ी गौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पर पार्किंग कैसे हो सकती है, रोड्ज की वाइडनिंग कैसे हो सकती है और आलटरनेटिव रूट्स क्या हो सकते हैं, इन चीजों को लेकर भी आगे प्लॉनिंग करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिमला के बारे में हमने बहुत कुछ सुना कि ट्रैफिक यहां से निकलेगी और यहां पहुंचेगी; यहां पर रज्जूमार्ग लगेगा। इन सारी बातों पर हम कई सालों से चर्चा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। दुनिया आज के दौर में कहां-से-कहां पहुंच गई है लेकिन हम वहीं अटके हैं। इसका परिणाम यह है कि आज यह स्थिति आ गई है कि विधायकों को भी कहा जा रहा है कि आप गाड़ी से मॉल रोड नहीं जाएंगे; सी.टी.ओ. तक भी नहीं जाएंगे। इस तरह आने वाले समय में यह स्थिति आएगी कि सबको पैदल ही चलना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता या गुंजाईश नहीं बचेगी। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि मैंने जो 2-3 सुझाव दिए, उन सुझावों पर काम करने की आवश्यकता है। समय हाथ से निकलता जा रहा है। हम योजनाओं की चर्चा तो करते हैं लेकिन उनको व्यवहारिक रूप नहीं दे रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अगले वक्ता..गर्ग जी

05/04/2016/1535/RG/AS/1

उपाध्यक्ष : अब श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् सुरेश भारद्वाज जी ने नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाया है कि 'प्रदेश की विशेषकर शिमला शहर की ट्रैफिक प्रणाली पर यह सदन विचार करे।' उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और

यहां यातायात के साधनों में रेल हमारे पास नहीं है और हमारे पास हवाई सेवाओं की भी बहुत कमी है। इसलिए कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक यातायात हमारे सड़क मार्ग द्वारा ही होता है। यह भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जेसे बर्फीले और पहाड़ी प्रदेश में ये सड़कें हमारी किस्मत को जगाने वाली रेखाएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यातायात प्रबन्धन की दृष्टि से सर्वाधिक अव्यवस्था, लापरवाही, कुप्रबन्धन, अराज़कता, भ्रष्टाचार, दुर्घटनाएं इसी क्षेत्र में होती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यातायात संबंधी समस्याओं के मूल कारणों में से उसका समाधान करने और पहचान करने के भी अभी तक कोई प्रयास नहीं हुए हैं। इनकी पहचान करके उपाय करना और निराकरण करना तो दूर की बात है। प्रदेश, देश या दुनिया में हमेशा एक बात कही जाती रही है कि किसी भी प्रदेश में वहां की यातायात व्यवस्था कैसी है, वहां का चाल-चलन कैसा है, इन बातों के कारण वहां का शासन सत्ता समझी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ छोटे-छोटे सुझाव देना चाहूंगा। पहला, जो ट्रैफिक सिगनल सिस्टम है इस ट्रैफिक सिगनल सिस्टम को एक मजबूत तंत्र के द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता है। जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे मोड़, क्रॉसिंग या बाई-पासिज हैं। वहां एक अच्छा ट्रैफिक सिगनल सिस्टम हो, उसके द्वारा इस पर बहुत वैज्ञानिक तरीके से काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक नंबर प्लेट्स लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। लेकिन अभी तक वह पूरी तेज गति से नहीं चली। मेरा सुझाव यह है कि ऑर्डिनेरी नंबर प्लेट्स को बदलकर इलैक्ट्रॉनिक नंबर प्लेट्स सभी गाड़ियों में लगाई जानी चाहिए ताकि यदि कभी कोई यातायात नियमों का उल्लंघन भी करता है, तो उसको ट्रेस करके फाईन करने में आसानी हो सकती है। तीसरा, हम सब जगहों पर समय का निर्धारण इस सिस्टम के माध्यम से करें ताकि गाड़ियां अपने समय पर चलें। उसके

05/04/2016/1535/RG/AS/2

पश्चात जैसा मैंने पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। यहां कई स्थानों पर सड़कों को चौड़ा करने की गुंजाइश भी कम है और प्रयासपूर्वक जहां-जहां संभव हो सके, हमको वन-वे करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। मैं मनाली का रहने वाला

हूं और उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि मनाली में अगर लोग हडिम्बा माता के मंदिर तक जाते हैं, तो हडिम्बा माता के मंदिर से लेकर सयाल गांव होते हुए मनाली शहर को आ सकते हैं और वहां वन-वे हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो मनुजी के मंदिर को जाते हैं मनुजी के मंदिर से नाला होकर करते-करते पलचान और सोलंग वाली सड़क के साथ मिल सकता है। इस प्रकार के अनेक बाई पासिज बनाने की आवश्यकता है जिससे हमें यातायात की समस्या से निजात मिल सकती है। इसके अलावा मेरा एक और सुझाव सरकार को रहेगा क्योंकि आने वाले दिनों में हर घर में हर सदस्य के पास अलग-अलग गाड़ियां हो रही हैं। यह आज भी और आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

05/04/2016/1540/MS/AS/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी----

इसलिए यातायात से संबंधित नियम कड़े होने चाहिए और सब चीजें ठीक प्रकार से हमारे जीवन में उतरे, उसके लिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार को विद्यालयों में भी ड्राइविंग और यातायात के नियमों के संबंध में कोई सब्जैक्ट प्रारंभ करना चाहिए। उसकी बाकायदा परीक्षा भी होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय में एक गाड़ी रख करके टैम्प्रेरी फेज में बच्चों को उसके बारे में बताया जाए ताकि बच्चों के जीवन में छोटे से ही पर्यावरण का महत्व और यातायात के नियमों के बारे में समझ आ जाए। यह भी मेरा एक सुझाव है। नम्बर छः, हमें धीरे-धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी सुन्दर और सुव्यवस्थित होनी चाहिए ताकि लोग अपनी कार छोड़कर यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करे तो उनको वही आनंद उसमें भी आए। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें ट्रैफिक कन्ट्रोल करने और प्रदूषण रोकने में भी मदद देगा।

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन और है। आज लगभग हर ग्राम पंचायत में या

किसी एक गांव में जिसके अन्दर 40 घर हैं तो उस 40 घर के गांव में आज 50 गाड़ियां होंगी। वहां पर भी हमें पार्किंग हेतु भूमि चिन्हित करनी चाहिए। सरकार ग्राम पंचायत अनुसार या गांव के अनुसार जहां -जहां पर ऐसी भूमि मिल सकती है उसको चिन्हित करके, उसके लिए धन का प्रावधान करे ताकि वहां पर हम पार्किंग की व्यवस्था कर सके।

मैं आपको एक और भी सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक कुल्लू-मनाली का संबंध है, मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर से ऊपर जितने गांव हैं, हर गांव में पर्यटक रहता है। वहां पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मिलाकर बहुत गाड़ियां होती हैं। वहां पर हर गांव के अंदर ऐसे स्थान चिन्हित किए जा सकते हैं। टूरिज्म कौंसिल के माध्यम से उस पार्किंग के लिए धन का प्रावधान किया जा सकता है ताकि हर गांव में 40-50 गाड़ियां यदि खड़ी होंगी तो टूरिस्ट सीजन और बाकी 12 महीनों में भी लोगों के लिए सुविधा रहे। जो पार्किंग की बात हम करते हैं,

05/04/2016/1540/MS/AS/2

उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर्यटन नगरियां है, उनके लिए आज हाइटैक पार्किंग कैसे बनें, उस दिशा में हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और बात है। आने वाले दिनों में हमारी जितनी कन्स्ट्रक्शन हो रही है, जैसे महेन्द्र सिंह जी अभी कह रहे थे, चाहे अस्पताल हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं या अन्य कोई भवन हैं, उन सबमें बेसमैंट में सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि सड़कों पर जो वाहनों का प्रैशर है वह कम हो।

दूसरे, यहां मैं पर्यटन नगरी का होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज है चाहे हम कहीं भी चले जाएं जबकि पूरे देश के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस वाले हमारी गाड़ी को हाथ देकर रोकें। लेकिन आप अपने प्रदेश के अंदर कहीं भी जाओ, क्या मण्डी, क्या बिलासपुर और क्या कुल्लू-मनाली, हर मौके पर कहीं आपको आर0टी0ओ0 खड़े मिलेंगे, कहीं कोई सब-जज और कहीं पुलिस के लोग खड़े मिलेंगे। जब वर्दी पहनकर पुलिस वाले किसी गाड़ी वाले को हाथ देते हैं तो परिवार के साथ लोग परेशान होते हैं कि हर मौके पर हमें क्यों रोका जा रहा है। जब

प्रदेश की एंट्री पर मेरी चैकिंग हो गई और मैंने वहां टैक्स दे दिया है तो फिर अब क्यों रोक रहे हैं। इसके लिए भी वैज्ञानिक तरीके से विचार करना चाहिए क्योंकि जगह-जगह पर खाकी वर्दी वाले जब गाड़ी को हाथ देते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, जिन पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटि ट्रैफिक में लगाते हैं उनके लिए भी प्रौपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि उनको अपने आप ही कुछ पता नहीं होता है। वे ड्यूटि पर होते हैं लेकिन नींद में सो रहे होते हैं। वे ठीक प्रकार से देख ही नहीं पाते हैं कि कहां गाड़ी पार्क होगी और किधर जाना है। जिन लोगों की आप ट्रैफिक में ड्यूटि लगाते हैं उन सब के लिए रिफ्रैशर कोर्स और पूरी ट्रेनिंग इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए।

05/04/2016/1540/MS/AS/3

एक बात डॉ0 बिन्दल जी ने सही कही कि लोडिंग/अन-लोडिंग के स्थान शहरों में तय होने चाहिए। उपाध्यक्ष जी, साथ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम बाहर से आने वाले टूरिस्ट की गाड़ी का प्रबंध तो करते हैं लेकिन स्थानीय लोग जो 12 महीने परेशानी झेलते हैं उनकी समस्या की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

05.04.2016/1545/जेएस/एजी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः-----**जारी**-------

कि शिमला की व्यवस्था के बारे में विशेषतौर पर श्री भारद्वाज जी ने कहा कि क्या शिमला के लिए और पूरे प्रदेश के लिए भी हम कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सड़क को चौड़ी करने की जगह नहीं है, जमीनों की कमी है और शिमला की लोकल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है इसलिए क्या मोनो ट्रेन पर विचार किया जा सकता है, क्या स्काई बस पर विचार किया जा सकता है? स्काई बस और

मोनो ट्रेन ये स्टेट के सब्जैक्ट हैं। उसी सड़क से 8 मीटर ऊपर लगातार बिजली से चलने वाली व्यवस्था और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक है, उस पर भी क्या विचार किया जा सकता है? अब छोटे-छोटे रोप वेज़ यानि कि रोप वेज़ हमारे बहुत बनें हैं और साथ में मैटीरियल रोप वेज़ भी बनें और पैसेंजर रोप वेज़ भी बनें। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि वर्ष 2012 की धूमल जी की सरकार ने एक विचार किया था कि हम टनल्ज़ के लिए, मोनो रेल के लिए, स्काई बसिज के लिए, रोप वेज़ के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम कोई न कोई ऐसी कार्पोरेशन का गठन करें जो विशेषतौर पर इन सारी की सारी बातों को देख सकें। यहां पर एक कॉम्बिनेशन बनाने की आवश्यकता है जो कि वर्तमान में भी है कि ट्रैफिक सिग्नल, कन्ट्रोल सिस्टम और ट्रैफिक पुलिस जिसके माध्यम से ये सब होता है और इसमें भी गहन अध्ययन के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं कुल्लू-मनाली का विधायक हूं। मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि मनाली के अन्दर गाड़ियों को खड़ा करने की बहुत कठिनाई होती है। ब्यास होटल जिसको डिस्मैंटल करने के शायद आदेश हो गए हैं। वहां पर पार्किंग बनें। दोनों ग्रीन टैक्स बैरियर से जो ऊपर का क्षेत्र है वहां पर पार्किंग बनें । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करूंगा कि आज वर्तमान में क्या हो गया है? टूरिज्म कॉंसिल का पैसा भी जिला प्रशासन खर्च नहीं कर रहा है। हर बात में कहता है कि हाई कोर्ट आ गया,नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया। पैसा पड़ा है। क्या दोनों बैरियर से ऊपर पार्किंग बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए जो हमारी सड़कें हैं, जहां-जहां पर बर्फ व बारिश से नुकसान होता है उनको क्या हर वर्ष एक साल में एक किलोमीटर

05.04.2016/1545/जेएस/एजी/2

कम्पलीट कर सकते हैं ताकि वह पैसा उसमें उपयोग में आए। फिर पतली कूहल में, जिस बस अड्डे की बात हम करते हैं बस टर्मिनल और पतली कूहल एक केन्द्र कुल्लू और मनाली का है। पतली कूहल में सरकारी भूमि पर्याप्त है। वहां पर चाहे जीप की पार्किंग है, चाहे कार पार्किंग है, चाहे टैक्सी वालों की पार्किंग है वहां पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मनाली में स्लॉटर हाऊस के पास जो बस अड्डा जिसके लिए लगभग शायद डेढ़ हेक्टेयर के करीब जमीन और उसके लिए पर्यावरण की स्वीकृति आनी बाकी है। वहां पर जो बस अड्डा बनना है उस बस अड्डे का भी टेंडर करें ताकि जो

वहां पर बस अड्डा बनेंगा, वहां पर छोटी गाड़ियों की पार्किंग होगी तो लोगों को पैदल घूमने के लिए मालरोड़ का आनन्द भी मिलेगा। नग्गर में भी इसी तरह की आवश्यकता है। मेरा एक निवेदन और है। मनाली में मैंने पहले भी कहा कि सात बीघा लोक निर्माण विभाग की भूमि है। सब डिविज़न कार्यालय है । उस सात बीघा भूमि पर धीरे-धीरे लोग कब्जा करते जा रहे हैं तो मैंने निवेदन किया था कि वहां पर कोई मल्टी परपज़ भवन बनें। बेसमैंट में चार-पांच सौ छोटी गाड़ियों की पार्किंग हो। पी.डब्ल्यू.डी. का दफ्तर बनें और अन्य कई चीजें बनाने का वहां पर विचार करें । ऐसे ही वशिष्ठ में आवश्यकता है। हडिम्बा माता के मंदिर के पास और मनु मंदिर में भी आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और अत्यन्त आवश्यक चीज़ यह है कि पार्किंग के लिए हमको मालूम है कि बहुत जगह नहीं मिलती। बहुत से स्थान नदी के किनारे ऐसे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन न करें परन्तु थोड़ी लैबलिंग करके कुछ चीजों की वहां पर हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। यह जो श्री सुरेश भारद्वाज जी ने विषय इस माननीय सदन में रखा, यह अत्यन्त आवश्यक है और पूरे प्रदेश के लिए इस पर विशेष तौर पर कोई योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले दिनों में लोगों की समस्या का समाधान हो। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.04.2016/1545/जेएस/एजी/3

उपाध्यक्षः अब श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री हंस राजः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अति महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में आया है। चूंकि चम्बा भी एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन के हिसाब से चम्बा जिला एक फैला हुआ क्षेत्र है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी

05.04.2016/1550/SS-AG/1

श्री हंस राज क्रमागतः

तो मैंने भी समझा है कि माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार तक यह आवाज़ पहुंचे कि हमारे कुछ बहुत ही दर्शनीय स्थान हैं जहां पर अमूमन हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्या रहती है। चाहे हम शिमला से निकले तो भारद्वाज जी ने बिल्कुल सही कहा कि शिमला का शायद ही कोई पोरशन हो जहां ट्रैफिक की समस्या नहीं है। लेकिन शिमला से होकर जब हम हीरानगर और घणाहट्टी से निकलते हैं तो दाड़लाघाट एक ऐसा स्थान आ जाता है जहां पर हमारे एक-दो घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। ब्रह्मपुखर तक बहुत ही बुरा हाल है। वैसे ही घुमारवीं का ज़िक्र नहीं हुआ है। लेकिन घुमारवीं में परटीकुलर जो बाज़ार है जहां पर बस-स्टैंड भी है और साथ में वहां सारी ट्रैफिक स्टेट लेवल की निकलती है वहां पर बहुत बड़ी समस्या आ गई है। ठीक कहा कि गाड़ियां बढ़ी हैं और हमारे पास सड़कें वही हैं उस संदर्भ में हमें घुमारवीं के क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे ही अल्टरनेटिव रोड हमें ज्वाला जी में स्थापित करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ ही हम वाया कांगड़ा से निकलते हैं तो अमूमन जब हम विधानसभा या हाउस के लिए आते हैं तो प्रॉपर कांगड़ा से लेकर शाहपुर, गग्गल और मटौर का इलाका है, जिस-जिस रोड से भी हम जाते हैं वहां पर ट्रैफिक जाम होता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईवन हमारे पास लाइट भी है, हुटर भी इस्तेमाल करते हैं फिर भी हम लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत ज्यादा समस्या है। आम लोगों को कितनी समस्या होती होगी, यह महसूस किया जा सकता है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। सीधे ही मैं चम्बा पर जाऊंगा क्योंकि मैं दो-चार मिनट ही बोलूंगा। चम्बा में जब-जब मणिमहेश की यात्रा शुरू होती है या इस तरह के बड़े त्यौहार शुरू होते हैं उस दौरान हमारे भरमौर चौंक से ले करके करियां तक या धरवाला तक और साथ-ही-साथ अगर हम बाज़ार की तरफ जाते हैं तो हमारा जो मुख्य बस-स्टैंड है जोकि अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया है वहां आज हालात भरमौरी जी की वजह से नहीं बल्कि ट्रैफिक की वजह से इतने बदतर हो गये हैं कि ईवन एम्बुलैंस का हॉस्टिपटल के अंदर जाना मुश्किल हो गया है। मैं माननीय सदन में यही गुजारिश करूंगा जो हमारा मुख्य सिविल हॉस्पिटल चम्बा है एम्बुलैंस को हॉस्पिटल तक पहुंचाने

के लिए ट्रैफिक कर्मचारियों/अधिकारियों को डायरैक्शन दी जाए। या तो वहां जल्दी

05.04.2016/1550/SS-AG/2

से बस स्टैंड बन जाता तो बाज़ार अलग रह जाता और वहां ट्रैफिक अपने तरीके से मूव कर सकता था। प्रॉपर बाज़ार में भी ऐसी समस्या है। डलहौजी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। डलहौजी के साथ ही खजियार है। बनिखेत से डलहौजी के लिए निकलना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। डलहौजी प्रॉपर से अगर आप अंदर से खजियार की तरफ जाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिये ये जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जैसे खजियार, डलहौजी, प्रॉपर चम्बा है और साथ में पिछले दो-तीन वर्षों में ट्रैफिक तीसा-भंजराडू की तरफ भी मूव हुआ है। तीसा में भी अब हाइड्रो की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। सड़कें वही हैं लेकिन गाड़ियां बढ़ी हैं। बड़ी गाड़ियां भी बड़ी अमाऊंट में जानी शुरू हुई हैं। हमारी पिछले दो-तीन सालों से यही गुजारिश है कि उस रोड को वाइड करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। प्रॉपर जो हमारा सी0एच0सी0 हॉस्पिटल तीसा है, वहां पर एम्बुलैंस का आना मुश्किल हो गया है। चम्बा पांगी वाली जो हमारी मेन रोड है, उस रोड से वह डेढ़ किलोमीटर की रोड है वहां पर बहुत मुश्किल हो गया है। हमने कई बार एस0डी0एम0 और डी0सी0 से बात की है कि एक-आध कॉंस्टेबल या ट्रैफिक कर्मचारी वहां पर डिप्यूट कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक समस्या का समाधान हो और उस हॉस्पिटल में जो 47 पंचायतों के लोग फीड होते हैं उन्हें दिक्कत न हों। अगर वहां पर एक-दो ट्रैफिक कर्मचारी हों तो वे ट्रैफिक को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में वे एम्बुलैंस के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। भंजराडू में भी ऐसा हो गया है। हमारा भंजराडू एक छोटा-सा कस्बा है। हमारे लिये तो वह एक शहर ही है। वहां पर भी एम0डी0एम0 कार्यालय है। तहसील कार्यालय है और पुलिस थाना है। वे सब हैं। इसलिए वहां पर पार्किंग की सुविधा का होना बहुत ज़रूरी हो गया है।

जारी श्रीमती के0एस0

05.04.2016/1555/केएस/एजी/1

श्री हंस राज जारी----

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक की समस्या के ऊपर यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो यहां पर लाया गया है, इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.04.2016/1555/केएस/एजी/2

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगें।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने जो यहां पर मामला उठाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें काफी तादाद में माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उपाध्यक्ष जी, वैसे तो यह प्रस्ताव ट्रैफिक के बारे में था मगर यहां पर भाषणों में ट्रैफिक के बारे में कम और पर्यटन के बारे में ज्यादा बातें कही गई हालांकि वह भी रैलीवैंट हैं परन्तु इस प्रस्ताव से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। The matter was regarding traffic, not about tourism as a whole. खैर, सभी के विचार आए। उनके विचारों से हम अवगत हुए। बेसिकली यह प्रश्न शिमला के ट्रैफिक के बारे में था और फिर दूसरे शहरों के अंदर जो ट्रेफिक की समस्या है, उसको भी इसमें जोड़ा गया। आप जानते हैं कि शिमला शहर ऐसी सदी में बना जब ज्यादा मोटर ट्रैफिक नहीं थी। शिमला की कई बस्तियां ऐसी हैं जहां पर मोटरेबल रोड़ज़ नहीं है। जहां न मोटर गाड़ियां जा सकती है और न बस जा सकती है। यही हाल डलहौजी का भी है, मनाली का भी और अन्य शहरों का भी है। पहले जो सड़कें होती थी, सिंगल लेन की होती थी। यहां तक कि दिल्ली और शिमला की सड़क भी सिंगल लेन थी। उसके बाद डबल लेन हुई और अब यह फोर लेन हो रही है। जैसे-जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। आज कीरतपुर से लेकर नेरचौक और वहां से आगे मनाली तक ज्यादातर हिस्से में फोर लेन और कुल्लू से मनाली तक टू लेन सड़क बन रही है। तो सड़कों को चौड़ा करने का सिलसिला आज सारे देश में चल रहा है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है,

ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके मुताबिक सड़कों का भी आकार, उनकी चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। हम भी इसमें पीछे नहीं है। यहां पर बहुत सी फोर लेन सड़कें बन रही है। कालका से शिमला तक फोर लेन सड़क बन रही है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी कहा कि कीरतपुर से नेरचौक और नेरचौक

05.04.2016/1555/केएस/एजी/3

से कुल्लू और कुल्लू से आगे टू लेन सड़क बन रही है। बाकी जिलों के अंदर भी सड़कों का विस्तार हो रहा है। यह जरूरी भी है क्योंकि आजादी के बाद देश की आर्थिक दशा बहुत ही सुधरी है। आज लोगों के पास पैसा आया है वह चाहे कृषि से आया है या बागवानी से आया है। सरकारी मुलाज़िमों को भी आज बहुत अच्छा वेतन मिलता है। व्यापार भी बढ़ा है इसकी वजह से आज लोग मोटर गाड़िया और अन्य कई प्रकार के व्हीकल्ज़ रख रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा बढ़ा है। जमाने के साथ-साथ हमें भी अपने यातायात के संसाधनों को बढ़ाना चाहिए जिसकी पूरी कोशिश की जा रही है। शिमला के बारे में आप जानते हैं कि सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और जो शिमला का सर्कुलर रोड़ है, उसको चौड़ा किया जा रहा है और इस काबिल बनाया जा रहा है कि कोई भी प्वाईंट ऐसा नहीं होगा जहां पर दो गाड़ियां एक साथ न चल सके। कई प्वाईंट्स ऐसे हैं जिनको चौड़ा किया जा रहा है। इसी तरह से पार्किंग लॉट्स बन रहे हैं। शिमला के अंदर ही पांच-छः मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट्स बन रहे हैं। हर शहर के अंदर बन रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

5.4.2016/1600/av/ag/1

मुख्य मंत्री ----- जारी

चाहे बिलासपुर है, मण्डी है, धर्मशाला है; हर जगह पर पार्किंग लॉट्स बन रहे हैं। कहीं पर मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट्स बन रहे हैं। कांगड़ा और पालमपुर में; जहां-जहां पर भी गाड़ियों का जमघट हो जाता है वहां-वहां पर पार्किंग लॉट बन रहे हैं। We are doing our best in this matter. ट्रैफिक कंट्रोल करना भी एक आवश्यक काम है। वास्तव में शिमला शहर पहले मोटरों के लिए नहीं बना था। जब यह शहर बना था तो उस समय यहां सिर्फ दो-तीन गाड़ियां हुआ करती थी। वायसराय और गवर्नर (पंजाब) की गाड़ी होती थी। बाकी दो-तीन रूलर की होती थी। उस समय गवर्नर और वायसराय को छोड़कर जिनके पास गाड़ियां होती थी वे अपनी गाड़ियों के होते हुए भी पैदल चलना पसंद करते थे। वे लोग इस शहर को सैरगाह मानते थे। वे घर से चाहे पार्टी में जाते थे या बाजार जाते थे; पैदल जाना पसन्द करते थे। कभी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता था। बाली साहब जो कि वर्तमान में परिवहन मंत्री है; ये कह रहे हैं कि शिमला में इस वक्त 20,000 गाड़ियां हैं जिसकी वजह से यहां पर समस्या पैदा हो रही है। सरकार इनको रेगुलेट करने के लिए कदम उठा रही है। मैंने जैसे कहा कि यहां पर बड़ी-बड़ी पार्किंग बन रही है। एक तो यहां पर सात मंजिला पार्किंग बन रही है। इसी तरह दूसरी जगह पर भी कोई चार मंजिल के और कोई तीन मंजिल के पार्किंग लॉट्स बन रहे हैं। यह इसलिए बनाई जा रही है कि जो यहां पर टूरिस्ट आए वह अपनी गाड़ी वहीं पार्क करें और फिर मालरोड के ऊपर पैदल चलें। यहां पर ट्रेफिक के बारे में कम बातें हुई हैं और टूरिज्म की ज्यादा की गई है। यह सही भी है क्योंकि दोनों ही विषय आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर जैसे-जैसे टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ेगी ट्रेफिक भी वैसे-वैसे बढ़ता रहेगा। लेकिन यह बात सही है कि हमारे जो पुराने शहर है they have reached a saturation point. They cannot be expanded beyond certain point. इसलिए हमें और सैटलमैंट्स तथा नये सेटेलाइट शहर बनाने की जरुरत है ताकि ट्रेफिक वहां को डाइवर्ट हो। हर शहर और गांव की की अपनी-अपनी

5.4.2016/1600/av/ag/2

केपेसिटी होती है। उससे बियोंड वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती। इसके लिए पहले भी कोशिश हुई है और हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि कालका-शिमला के बीच में कोई और नये रिजोर्ट बने। ऐसी ही धर्मशाला और पालमपुर में विकास हो because they become important resorts. इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट टाउन्ज हैं चाहे बिलासपुर है, मण्डी है, ऊना है या चम्बा है; इन सारे टाउन्ज का ऐक्सपैंशन हो सकता है या उनके साथ सेटेलाइट टाउन बन सकते हैं जिससे कि वहां से आबादी का डिसपर्सल हो। जब आबादी का डिसपर्सल होगा तो यातायात अपने आप ठीक हो जाता है। मैं आपसे ये बातें कहना चाहता था। इसमें हमारी यह कोशिश रहेगी कि इसमें और ज्यादा सुधार लाए जाएं। पहले तो हमारी ट्रेफिक पुलिस अलग नहीं थी। ट्रेफिक पुलिस भी पुलिस के साथ ही थी। अब ट्रेफिक पुलिस को अलग से बनाया गया है। उनकी वर्दी भी दूसरी रखी गई है। ट्रेफिक पुलिस की संख्या बढ़ाना तथा उनको और ज्यादा तरीके से दक्ष बनाने की जरुरत है ताकि वह अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। हमारी ट्रेफिक पुलिस ट्रेन्ड है मगर उनको और ज्यादा ट्रेनिंग दी जायेगी। चौराहों के ऊपर ट्रेफिक के लिए रेड और ग्रीन लाइट लगाने की जरुरत है ताकि लाइट जलने पर ट्रेफिक खुद व्यवस्थित हो जाए। We have to regulate it mechanically also. मैंने आपको यह सारी बातें कही है। बाकी आपने जो सुझाव दिए हैं मैंने ये सारे नोट कर लिए हैं। इन पर जहां तक अमल हो सकता है हम अमल करेंगे।

टीसी द्वारा जारी

05.04.2016/1605/AG-TCV/1

मुख्य मंत्री--- जारी ।

आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य में जो आय का साधन होगा वह इंडस्ट्री , बागवानी, चाय पैदा करना,अनाज पैदा करना,फल सब्जी पैदा करने के अलावा वह टूरिज्म भी होगा। Himachal is basically a tourist State. हमें हिमाचल प्रदेश को इस काबिल बनाना है कि टूरिस्ट यहां आये। उनके लिए हमें अच्छे टाऊनशिप या रिजॉर्ट बनाने पड़ेंगे ताकि लोग रिजॉर्ट में जाकर छुट्टियां मनाएं। कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ भड़ाका नहीं चाहते हैं, वे शहरों से आते हैं और एकांत जगह में रहना चाहते हैं। They don't want to be disturbed. तो इस किस्म के रिजॉर्ट को बनाने की भी आवश्यकता है। इसके बारे में सरकार सोच रही है और कदम भी उठा रही है, लेकिन सरकार ने ही सब कुछ काम नहीं करना है, ज्यादा काम तो प्राईवेट सैक्टर ने करना है, उद्योगपति ने करना है। आज हिमाचल प्रदेश के अन्दर खुशहाली आई है। आज जरूरी नहीं है कि बाहर का आदमी आकर यहां होटल/रिजॉर्ट बनाएं। आज हिमाचल के अन्दर इतनी क्षमता है कि यहां के लोग ही रिजॉर्टस, टाऊनशिप और होटल बना सकते हैं। ये चन्द बातें थी जो मैं कहना चाहता था। शिमला के बारे में आपने जो कंसर्न डिस्पले किया है we are also concerned about it. हम चाहते हैं कि ट्रैफिक रेगुलेट हो लेकिन यहां मजबूरी इस बात की है कि सड़कें पुरानी बनी हुई है, इनको डबल लेन करने या ज्यादा चौड़ी करने की गुंजाईश ही नहीं है। सारा शिमला डंगों के ऊपर बना हुआ है। इसको चौड़ा करने की कोई गुंजाईश नहीं है। We have to regulate the traffic. बाकी मैं चाहूंगा कि हर जिले के अन्दर जो ग्रोईंग टाउॅन्ज़ है, वहां पर भी हम इस किस्म का विचार करें। इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे जिसमें जिले के एम0एल0एज0, डी0सी0, ट्रास्पोर्ट के अधिकारी, टूरिज्म के अधिकारी और जो जस्टिस इत्यादि हैं वह भी होंगे, वह अपने-अपने जिले के अन्दर ट्रैफिक प्रोब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे ताकि उस पर अमल हो सकें। This plan has to be dispersed. There cannot be one master plan for entire Himachal Pradesh. Master plan can only for one town. Every town will have to make

its own master plan. How to control traffic? How to control congestion? और दूसरे बात इन्क्रोचमैंट की है। आज जितनी भी सड़कें हैं जब ये शहर बने थे भले ही यह छोटे थे मगर वहां पर मकान कम थे। कहीं दुकान थी, कहीं कुछ था परन्तु कंजैशन नहीं था। आज कंजैशन इसलिए बढ़ गया है कि लोगों ने बड़े पैमाने पर इन्क्रोचमैंट किया है। चाहे मण्डी का शहर ले लो, चाहे रामपुर बुशैहर या शिमला को ले

05.04.2016/1605/AG-TCV/2

लो, सरकारी भूमि के ऊपर, म्युनिसिप्ल लैंड के ऊपर, कारपोरेशन की लैंड के ऊपर बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा इन्क्रोचमैंट हुआ है और अब भी लोग बड़े धड़ले से कर रहे हैं। इसको सख्ती के साथ रोकने की जरूरत है। We must live with disciplined people, not grabbers. Himachal was never grabbers. ठीक है, सबको जगह मिलनी चाहिए, जहां पॉसिब्ल है। अपनी जगह पर बनाईये, नक्शा बनाईये और उसके मुताबिक बनाईये । ये नहीं है कि जहां खाली जगह मिली, चाहे गवर्नमैंट की हो या ऐसी जगह हो जिसका पता ही नहीं कि मालिक कौन है, उसमें कब्जा कर देते हैं। मकान आप देखेंगे, शिमला में शिमला म्युनिसिप्ल कॉरपोरेशन के रूल के मुताबिक कितने बहुमंजिले मकान बने हैं। totally against law और ऐसा और जगह भी हुआ है। सरकार इस असमंजस में रहती है कि कैसे इनको रेगुलराईज किया जाये। इन्क्रोचमेंट को रेगुलराईज करने के लिए या जिन्होंने टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के नियमों की अवहेलना की है उसको रेगुलेराइज करने की भी हद हो गई है। ये तो नहीं है कि जितना कर सकते हैं उससे 4 गुणा को रेगुलेराइज किया जा सके। These are all social problems which will have to be resolved.

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी।

05/04/2016/1610/RKS/AS/1

मुख्य मंत्री...जारी

इसके बारे में भी हम सोचेंगे। श्री सुरेश भारद्वाज जी ने भी यहां बहुत अच्छा विषय उठाया है He, being an MLA from Shimla is concerned. We are also equally concerned. I am a resident of Shimla myself. हमारा शिमला आना जाना होता है। We are all concerned about the problems of Shimla which should be resolved as soon as possible. The Government will do everything possible to see the things are regulated properly and the traffic hazards which we face today are minimized, if not done away with. Thank you very much.

उपाध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक बुधवार 06 अप्रैल, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 05 अप्रैल, 2016 **सुन्दर सिंह वर्मा**
शिमला-171004 **सचिव।**